छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन", नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

(पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000)

बीसवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 30 सितम्बर 2019

समय : दोपहर 12.00 बजे

स्थान : कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन", नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाषः (0771) 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/सह/वार्षिक आम सभा/2019/8873A रायपुर दिनांक 16.09.2019

प्रति

1. **श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)

2. **श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

3. **कु. समीरा पैकरा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)

4. **श्रीमती सुशीला बाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़ेगेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)

5. **श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)

6. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग)

7. **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

8. **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

9. **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)

10. **श्री राम सुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर,. **संघ प्रतिनिधि**
पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)

11. **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)

12. **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

13. **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)

14. **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)

15. **श्री राज कुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)

16. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़. (छ.ग)

17. **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)

18. **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)

19. **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)

20. **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)

21. **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)

22. **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

23. **श्री मोतीराम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

24. **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

25. **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

26. **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

27. **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग)

28. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)

29. **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

30. **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)

31. **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)

32. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3. सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

33. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016

34. **अपर मुख्य सचिव,** छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

35. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर

36. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर

37. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

38. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

39. **विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

40. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

41. **श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव**, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की बीसवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.09.2019 (सोमवार) की सूचना।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की बीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.09.2019 दिन सोमवार को समय दोपहर 12.00 बजे स्थान वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर के कान्फ्रेन्स हाल (तृतीय तल) में आयोजित किया जावेगा। वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित विषय सूची पर विचार करने हेतु आहूत है:-

विषय सूची

विषय क्रमांक 1	उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 27.07.2018 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।
विषय क्रमांक 2	वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये गये कार्यो - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।
विषय क्रमांक 3	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।
विषय क्रमांक 4	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट की स्वीकृति।
विषय क्रमांक 5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।
विषय क्रमांक 6	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।
विषय क्रमांक 7	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन।
विषय क्रमांक 8	वर्ष 2018 सीजन के तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम पर हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत।
अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

नोटः- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात् दोपहर 12.30 बजे से पुनः उसी स्थान पर प्रारम्भ की जावेगी।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें। वार्षिक साधारण सभा का विस्तृत एजेण्डा (पुस्तिका) पृथक से प्रेषित किया जावेगा।

सही/-
(सावित्री भगत)
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय सूची

अनु.क्र.	विषय	पृष्ठ कमांक
1	उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 27.07.2018 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	1-12
2	वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	13-37
3	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	38-40
4	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट की स्वीकृति।	41-47
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	48
6	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	49
7	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन।	50
8	वर्ष 2018 सीजन के तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम पर हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत।	51
	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

अध्यक्षीय उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की उन्नीसवीं आम सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय संचालक मण्डल के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय ढ़ॉचे में लघु वनोपज संघ कार्यरत 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 14 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते है, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्ही गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय दिनांक 01.11.2017 से रूपये 12,500/- प्रतिमाह किया गया है।

तत्पश्चात् प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का परिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक रूपये 12,500/- से बढ़ाकर रूपये 15,000/- करने का प्रस्ताव शासन स्वीकृति हेतु भेजा गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस वर्ष तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रुपये 2500/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा की गयी। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये थे, उक्त लाटों में संग्रहित तेन्दू पत्ते की मात्रा 15.053 लाख मानक बोरा में से 15.013 लाख मानक बोरा भण्डारित हुआ। अग्रिम में विक्रित 579 लाटों में 9.355 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 502.65 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5373/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 374 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किया गया 1 लाट, कुल 375 लाटों में से 5 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 370 लाटों में 5.658 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। कुल संग्रहित मात्रा 15. 053 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्तों का संग्रहण हुआ, जो अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा का 90.05 प्रतिशत है।

अविक्रित 375 लाटों में 5.658 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण एवं भण्डारित किया गया तथा तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है। संग्राहकों को लगभग रूपये 602.14 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार दिनांक 01.03.2018 से तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गयी है, जो 18 से 50 वर्ष की आयु के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये है, यह योजना 55 वर्ष की आयु तक के हितग्राही के लिये योजना लागू रहेगी। इस योजनांतर्गत संग्राहक परिवार

के मुखिया की मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्राप्त होगा। इस योजना अंतर्गत प्रीमियम की राशि का 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र शासन द्वारा, 37.5 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत संघ द्वारा भुगतान किया जाता है।

51 से 59 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये पूर्व की प्रचलित आम आदमी बीमा योजना लागू रहेगी। तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया (51 से 59 वर्ष आयु) के लिए प्रचलित आम आदमी बीमा योजना के तहत संग्राहक को रू. 30,000/- से 75,000/- तक की राशि मृत्यु / विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। इस योजना की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है, 37.5 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है।

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार समूह बीमा योजना दिनांक 28.02.2018 को समाप्त कर दिया गया है। समूह बीमा योजना संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये लागू था। इस योजनांतर्गत हितग्राही की मृत्यु होने पर रू. 3,500/- प्राप्त होता था। इस योजना के बंद होने पर अटल समूह बीमा योजना जिसमें बीमा राशि रू. 6,500/- था, उसे दिनांक 01.03.2019 से रू. 12,000/- कर दिया गया है। समूह बीमा योजना की प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि का भुगतान संघ के द्वारा वहन किया जावेगा।

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु संघ द्वारा विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्र वृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें लागू है।

मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4413 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 1.09 करोड़, व्यवसायिक कोर्स हेतु 349 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.27 करोड़, गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत कुल 1569 छात्र / छात्राओं के कुल राशि रूपये 0.69 करोड़, प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कुल 3546 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 6.82 करोड़ प्रदाय कियां गया। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में संघ द्वारा विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं में लगभग 9877 छात्र / छात्राओं को रू. 8.89 करोड़ प्रदाय किया गया।

तत्पश्चात प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का परिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक रूपये 12,500/- से बढ़ाकर रूपये 15,000/- करने का प्रस्ताव शासन स्वीकृति हेतु भेजा गया है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक के बीमा राशि में दिनांक 19.05.2017 से राशि रूपये 25,000/- से वृद्धि की जाकर रूपये 1.00 लाख किया गया है।

राज्य शासन की लाख विकास योजना के तहत् 28 जिला यूनियनों में संचालित कुल 96 कुसुमी एवं रंगीनी लाख पालन परियोजना में स्वीकृत राशि रू. 14.13 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 11.41 करोड़ जिला यूनियनों में प्रदाय की गयी है। संघ की तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि के तहत् 13 जिला यूनियनों में संचालित कुल 75 कुसुमी एवं रंगीनी

लाख पालन परियोजना में स्वीकृत राशि रू. 10.05 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 7.00 करोड़ जिला यूनियनों में प्रदाय की गयी है।

वर्ष 2014 से विभिन्न वनोपजों के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गयी है। योजना में साल बीज, हर्रा, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसमी लाख तथा रंगीनी लाख का क्रय किया जा रहा है। संग्राहकों को उनके द्वारा लाई गई वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में वर्ष 2018-19 में कुल रू. 4.05 करोड़ विभिन्न लघु वनोपज का क्रय कर संग्राहकों को भुगतान किया गया है। इस योजना के लागू होने से संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य भी बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अतिरिक्त तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभ की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से अन्य लघु वनोपज जैसे - बेल, आंवला, सतावर, कालमेघ, नागरमोथा व अन्य लघु वनोपज का संग्रहण एवं विक्रय किया गया है।

संघ द्वारा लघु वनोपज मुख्यतः इमली, आंवला, बेल, जामुन, तिखुर, शहद, चिरौंजी, काजू व अन्य औषधीय प्रजातियों के मूल्य संवर्धन एवं विपणन की दिशा में भी सार्थक प्रयास किये गये है। विगत वर्ष संजीवनी एवं NWFP मार्ट के माध्यम से रू. 1 करोड़ 37 लाख की लघु वनोपज के उत्पादों का विक्रय किया गया। संजीवनी एवं प्रसस्करण केन्द्रों का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य मुख्यतः संग्राहक होते हैं।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगें।

धन्यवाद।

(भरत साय)

विषय क्रमांक - 1

विषयः- **छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की उन्नीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.07.2018 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा श्री भरत साय अध्यक्ष, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2018 दिन शुक्रवार को समय पूर्वान्ह 11.30 बजे से सिविल लाईन स्थित न्यू सर्किट हाऊस के सभागार में प्रारंभ की गई। उन्नीसवीं वार्षिक साधारण सभा में विशेष रूप से आमंत्रित श्री महेश गागड़ा माननीय मंत्री - वन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में अपर प्रबंध संचालक संघ द्वारा जिला यूनियन के संघ प्रतिनिधियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबंध संचालक द्वारा आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहेः-

1. **श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)

2. **श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

3. **कु. समीरा पैकरा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)

4. **श्रीमती सुशीला बाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)

5. **श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)

6. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग)

7. **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

8. **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)

9. **श्री राम सुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)

10. **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)

11. **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

12. **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)

13. **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)

14. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)

15. **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)

16. **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)

17. **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)

18. **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)

19. **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

20. **श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

21. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)

22. **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

23. **डॉ आर.के सिंह** प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग छत्तीसगढ़, नया रायपुर

24. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

25. **श्री अतुल कुमार शुक्ल** सचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, छ.ग शासन - वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

26. **डॉ. जितेन कुमार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

27. **श्री पी.एस सर्पराज उप सचिव,** प्रतिनधि सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

28. **श्री युगल किशोर वर्मा** सहायक पंजीयक, प्रतिनिधि पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा में डॉ बी.पी नोन्हारे अपर प्रबंध संचालक, श्री कौशलेन्द्र कुमार कार्यकारी संचालक (व्या / विकास), श्री व्ही.एस लकड़ा महा प्रबंधक, श्री आर.सी दुग्गा उप. महा प्रबंधक (उत्पा/भण्डा) एवं श्रीमती सावित्री भगत सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहेः-

1. **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

2. **श्री राज कुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)

3. **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)

4. **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

5. **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

6. **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील माकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

7. **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहरपुर जिला कांकेर (छ.ग)

8. **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)

9. **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)

10. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

11. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016

12. **श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव**, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

13. **विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

विषय कमांक	विषय	संकल्प	की गई कार्यवाही
1	अट्ठारहवी वार्षिक आम सभा दिनांक 27.09.2017 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	उन्नीसवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा अट्ठारहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2017 के कार्य वृत्त की पुष्टि की गयी तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2	वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये कार्यो - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्रहकों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संघ द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। संघ द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजना यथा - तेन्दू पत्ता बोनस वितरण, बीमा, छात्रवृत्ति एवं चरण पादुका वितरण योजना का व्यापक लाभ लघु वनोपज संग्राहकों को प्राप्त हो रहा है, संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों का किए गए कार्य के प्रति सराहना आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।	कार्यवाही की जा चुकी है।
3	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण आम सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

	समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।		
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट की स्वीकृति।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मदवार बजट प्रस्ताव का विवरण आम सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। कार्यालयीन व्यवस्था व्यय हेतु वर्ष 2019-20 के लिये 1645.00 लाख का बजट पारित किया गया है। वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते मद में स्वीकृत बजट रूपये 400.00 लाख के विरूद्ध रूपये 433.01 लाख एवं ई.पी.एफ अंशदान मद में स्वीकृत बजट रूपये 50.00 लाख के विरूद्ध रूपये 55.87 लाख व्यय हुआ जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। पंजीगत व्यय हेतु वर्ष 2019-20 के लिये रूपये 3530.00 लाख का बजट पारित किया गया। वर्ष 2017-18 में कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय (संघ ऑफिस का डिजिटाइजेशन) मद में स्वीकृत बजट रूपये 75.00 लाख के विरूद्ध रूपये 80.12 लाख व्यय हुआ जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव वर्ष 2018-19 के लिये यात्रा भत्ता मद में रूपये 50.00 लाख की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये संघ कर्मचारियों को सातवें	कार्यवाही की जा चुकी है।

		वेतनमान लागू होने की संभावना को देखते हुए वेतन भत्ते मद में रूपये 525.00 लाख की स्वीकृति दी गई है।	
		वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये न्यायालयीन / विविध व्यय मद में रूपये 50.00 लाख की स्वीकृति दी गई है।	
5	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	वार्षिक आम सभा में संचालक मण्डल के द्वारा पूर्व अवलोकित वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का संचालक मण्डल सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया एवं तत्पश्चात उपस्थित आम सभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त अनुमोदित प्रस्ताव को अनुमोदन कर पारित किया गया।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बावत।	वार्षिक आम सभा में लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु मेसर्स रामा के. गुप्ता एण्ड कंपनी, रायपुर द्वारा रूपये 1,41,000/- (जी.एस.टी कर सहित) अंकेक्षण शुल्क पर संपरीक्षक नियुक्ति के प्रस्ताव का आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यालयीन आदेश क्र./278 दिनांक 16.10.2017 से वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
7	वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ अर्जित आय का विभिन्न मदें में विभाजन।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण टीप प्राप्त होने उपरान्त सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उपनियम 30 अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 4,99,96,137.00 का विभाजन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	वित्तीय वर्ष 2016-17 से रू.4,99,96,137.00 की राशि का विभिन्न मदों में विभाजन की कार्यवाही की गई ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से			
1	वर्ष 2017 की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि की वितरण में कुछ समितियां जिनमें पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें वर्तमान में वितरण योग्य राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण करने बाबत।	वर्ष 2017 की कुल 901 समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण किया जाना है किन्तु समस्त समितियों में पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनमें भी विक्रय मूल्य के आधार पर देय प्रोत्साहन पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत राशि का संघ द्वारा प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे तथा शासन से अनुमति उपरान्त वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उक्त प्रस्ताव का आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	पत्रावली का पूर्व अभिलेख परीक्षण करने पर स्थिति स्पष्ट हुई जिसमें छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ 13-31/2009/10-2 दिनांक 03.11.2009 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार शुद्ध आय की 80 प्रतिशत राशि का प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण जिन समितियों का पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया है में किया जाना है। शासन निर्देश की प्रति संलग्न है। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक एफ 13-31/2009/10-2 दिनांक 08.01.2019 से प्राप्त निर्देशों में जिन प्राथमिक लघु वनोपज समितियों में किसी कारण पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है उनमें प्रथम विक्रय में स्वीकृत दर के आधार पर प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाना है। विस्तृत विवरण हेतु निर्देश की प्रति संलग्न है।
2	संघ प्रतिनिधियों के लिए संघ के आम सभा में भाग लेने के लिए प्रवास यात्रा भत्ता एवं 500 रूपये आम सभा बैठक भत्ता निर्धारित करना।	कार्यालयीन पत्र कमांक 1344 दिनांक 02.02.2017 द्वारा जिला यूनियन के अध्यक्षों को संघ के "बी" श्रेणी तथा जिला यूनियन के उपाध्यक्ष / संचालकों को "सी" श्रेणी के अधिकारियों की भांति दैनिक भत्ता, स्थानीय परिवहन एवं ठहरने की पात्रता है	कार्यालयीन पत्र कमांक/वनो/ संघ/सह/2018/11414 दिनांक 28.08.2018 से समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ को, संघ मुख्यालय की वार्षिक आमसभा की बैठक में भाग

		तथा जिला यूनियन के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालको को संचालक मण्डल की बैठक / आम सभा की बैठक में भाग लेने हेतु राशि रूपये 150/- प्रति बैठक भत्ता दिये जाने की पात्रता है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2737 दिनांक 04.03.2017 द्वारा संघ के अध्यक्ष को "ए" श्रेणी तथा उपाध्यक्ष एवं संचालकों बी श्रेणी अधिकारियों की भांति दैनिक भत्ता, स्थानीय परिवहन एवं ठहरने की पात्रता है तथा संघ के संचालक मण्डल, आम सभा की बैठकों हेतु रूपये 250/- प्रति बैठक भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। संघ के समस्त प्रतिनिधियों द्वारा आम सभा की बैठक में आम सभा बैठक भत्ते में वृद्धि की मांग की गई है। यह वृद्धि केवल राज्य लघु वनोपज संघ की वार्षिक आम सभा हेतु ही मान्य है। अतः सर्वसम्मति से समस्त प्रतिनिधियों को निम्नानुसार देय यात्रा भत्ता के अतिरिक्त आम सभा की बैठक हेतु दैनिक भत्ता 500/- रूपये किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	लेने पर वाले निर्वाचित संघ प्रतिनिधियों को देय यात्रा भत्ता के अतिरिक्त आमसभा बैठक भत्ता 500/- रूपये भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

संचालक सदस्यों / प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिया गयाः-

1	60 वर्ष से अधिक आयु के तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों के लिए नई बीमा योजना लागू करने के लिए योजना आमंत्रित करना।	उक्त पर चर्चा किया गया, कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

2	एम.बी.बी.एस, इंजीनियरिंग एवं व्यवसायिक कोर्स (विधि, एम.बी.ए, नर्सिंग आदि) में पढ़ रहे छात्र / छात्राओं की शिक्षण शुल्क की राशि भुगतान करने की कार्यवाही करना।	उक्त पर चर्चा किया गया, कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
3	अटल बीमा योजना की राशि रूपये 10,000/- से रूपये 20,000/- करने की कार्यवाही करना।	उक्त पर चर्चा किया गया, कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
4	भारतीय जीवन बीमा निगम तहत कक्षा 9 वीं से 12वीं एवं आई.टी.आई में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वर्तमान में रूपये 1200/- प्रति वर्ष प्रति छात्र की राशि बढ़ाते हुए रूपये 2400/- प्रति वर्ष करने पर पहल करना।	उक्त पर चर्चा किया गया, कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
5	संघ अधिकारी / कर्मचारी का सातवें वेतनमान आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए शासन से पहल करना।	छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय अटल नगर जिला रायपुर का निर्देश क्रमांक 791/F-01002199/ L-11-2/ ब-4/ चार दिनांक 06.09.2018 से राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्ध शासकीय संस्थाओ तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में दिए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.07.2018 से आर्थिक लाभ दिये जाने का लेख किया गया।
6	संघ में रिक्त पदों को भरने के लिए शासन से अनुमति लेकर भरती की कार्यवाही करना।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ वनो/संघ/स्था/2019/4641 दिनांक 04.05.2019 से अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर को प्रस्ताव अनुसार संघ के स्वीकृत पद संरचना के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शीघ्र अनुमति देने हेतु पत्र संप्रेषित किया गया।

7	भानुप्रतापपुर क्षेत्र के कोयलीबेड़ा दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ में वर्ष 2018 के तेन्दू पत्ता पारिश्रमिक राशि का पूर्ण वितरण नहीं होने का परीक्षण कराकर कार्यवाही करना।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व्या/2019/7949 दिनांक 21.08.2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र क्रमांक/जि.यू./वनो/2019/2265 दिनांक 28.08.2019 से प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित पश्चिम भानुप्रतापपुर द्वारा वर्ष 2018 सीजन में अग्रिम में विक्रित/अविक्रित लाटों में तेन्दूपत्ता संग्रहण किया गया, जिसका संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान पूर्ण किये जाने का उल्लेख किया गया है।
8	लोक संरक्षित क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण एवं सवंर्धन पर विशेष बल देना।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संघ/का.द./पी.पी.ए./2018/16107 दिनांक 03.12.2018 प्रबंध संचालक राजनांदगांव, जगदलपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, धमतरी, बलौदा-बाजार एवं महासमुन्द को प्रेषित कर लोक संरक्षित क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण एवं संवर्धन पर विशेष बल देने हेतु निर्देशित किया गया है।
9	माहुल पत्ता दोना- पत्तल के विक्रय के लिए मंदिरों से समन्वय करना।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/का.द./2018/13239 दिनांक 24.09.2018 समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ को माहुल पत्ता दोना- पत्तल के विक्रय के लिए मंदिरों से समन्वय करने हेतु पत्र जारी किया गया है।
10	खैरागढ़, राजनांदगांव में तेन्दू पत्ता गोदाम निर्माण की स्थिति की प्रगति लाना।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/भण्डा/2019/6426 दिनांक 02.07.2019 मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य

		महाप्रबंधक, वनवृत्त दुर्ग को जिला यूनियन राजनांदगांव एवं खैरागढ़ में गोदाम निर्माण कार्य की प्रगति एवं कार्य पूर्णता प्रतिवेदन की जानकारी, इत्यादि प्रेषित करने हेतु पत्र जारी किया गया है।
11	सुपेला, भिलाई नगर निगम की जमीन पर 8 वर्ष से संजीवनी के लिए गोदाम निर्माणाधीन है उसकी प्रगति लेना। वर्तमान में उस पर अतिक्रमण भी हो रहा है।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ वनो/संघ/का.द./आ.3/ गोदाम/2019/5199 दिनांक 22.05.2019 से प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बालोद को गोदाम का कार्य पूर्णता प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
12	संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के उत्कृष्टता पुरस्कार की वर्तमान मापदण्डों में संशोधन कर युक्तियुक्त किया जावे।	उक्त का परीक्षण किया गया। संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त दर्शित बिन्दुओं का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही उपरांत आगामी आम सभा के पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तदुपरांत सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।

<u>विषय क्रमांक - 2</u>

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, मुख्य वन सरंक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयें में दिनांक 13.09.2018 की स्थिति में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न **<u>परिशिष्ट-क</u>** पर दर्शाया गया है।

(ii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजना

(क) कन्वर्ज्ड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार दिनांक 01.03.2018 से तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गयी है, जो 18 से 50 वर्ष की आयु के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये है, यह योजना 50 वर्ष की आयु तक के हितग्राही के लिये लागू रहेगी। इस योजनांतर्गत संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्राप्त होगा। इस योजना अंतर्गत प्रति संग्राह कुल प्रीमियम राशि रू. 342/- होती है जिसमें से 50 प्रतिशत राशि अर्थात रू. 171/- केन्द्र शासन द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत में से 37.5 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भुगतान किया जाता है।

(ख) कन्वर्ज्ड आम आदमी बीमा योजना

51 से 59 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये पूर्व की प्रचलित आम आदमी बीमा योजना लागू रहेगी। तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया (51 से 59 वर्ष आयु) के लिए प्रचलित आम आदमी बीमा योजना के तहत संग्राहक को रू. 30,000/-, आंशिक विकलांगता पर राशि रू. 37500/- तथा दुर्घटनाजनित मृत्यु/ पूर्ण विकलांगता पर रू. 75,000/- तक की राशि प्राप्त होती है। इस योजना अंतर्गत प्रति संग्राहक कुल प्रीमियम राशि रू. 200/- होती है जिसमे से 50 प्रतिशत राशि अर्थात रू. 100/- का भुगतान केन्द्र शासन द्वारा किया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत में से 37.5 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भुगतान किया जाता है।

(ग) समूह बीमा योजना

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार समूह बीमा योजना दिनांक 28.02.2018 को समाप्त कर दिया गया है। समूह बीमा योजना संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये लागू था। इस योजनांतर्गत हितग्राही की मृत्यु होने पर रू. 3,500/- प्राप्त होता था। इस योजना के बंद होने पर अटल समूह बीमा योजना जिसमें बीमा राशि रू. 6,500/- था, उसे दिनांक 01.03.2019 से रू. 12,000/- कर दिया गया है। समूह बीमा योजना की प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि रू. 24/- का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा वहन किया जावेगा।

(घ) संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है।

मेधावी छात्र/ छात्राओं को पुरस्कार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4413 छात्र/ छात्राओं को कुल राशि रूपये 1.09 करोड़, व्यवसायिक कोर्स हेतु 349 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.27 करोड, गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत कुल 1569 छात्र / छात्राओं के कुल राशि रूपये 0.69 करोड, प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कुल 3546 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 6.82 करोड़ प्रदाय किया गया। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में संघ द्वारा विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं में लगभग 9877 छात्र / छात्राओं को रू. 8.89 करोड़ प्रदाय किया गया।

(ङ.) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं फड़ मुंशियों का समूह बीमा

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 से बीमा कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को बीमित राशि उपलब्ध हो सके। प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

संचालक मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 17.01.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 68:21 में प्रबंधकों के बीमा राशि रूपये 1.00 लाख के पारित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में एवं छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अनुमति उपरान्त तथा सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का बीमा दिनांक 19.05.2018 से भारतीय जीवन बीमा निगम से रू. 1.00 लाख प्रति प्रबंधक बीमा कराया गया है। इसकी सम्पूर्ण प्रीमियम राशि संघ द्वारा देय होगी।

राज्य शासन के निर्देशानुसार फड़मुंशियों का 2018-19 का बीमा करने की कार्यवाही की गई। फड़ मुंशियों को संग्राहक परिवार के मुखिया के बीमा योजना की तरह 18 से 50 वर्ष की आयु के फड़ मुंशियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया जा रहा है, जिसमें सामान्य मृत्यु होने पर रू. 2.00 लाख एवं दुर्घटना

मृत्यु होने पर रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्राप्त होगा। 50 वर्ष से 59 वर्ष के फड़ मुंशियों को प्रबंधकों की तरह रू. 1.00 लाख का बीमा करने की कार्यवाही की गई।

(iii) तेन्दू पत्ते का व्यापार

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 951 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 784 लाटों की 13.921 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 792.94 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 5696/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 167 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.796 लाख मानक बोरा में से 2.073 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण किया गया। वर्ष 2018 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 2500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 784 लाटों में से 7 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 777 लाटों में 12.727 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 719.33 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5652/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 167 लाटों में से 28 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 139 लाटों में 2.073 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। भण्डारित लाटों में से 16 लाटों की 0.226 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 8.66 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 3821/- प्रति मानक बोरा रहा। संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट-ख** में संलग्न है।

विभागीय संग्रहित एवं भण्डारित अनिर्वर्तित तेन्दू पत्ते की 123 लाटों में से 1.847 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 580 लाटों की 9.759 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 526.32 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 5393/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 374 लाटों की अधिसूचित मात्रा 6.958 लाख मानक बोरा का अग्रिम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के तृतीय चक्र की निविदा दिनांक 22.02.2019 से दिनांक 26.02.2019 तक आमंत्रित ई-निविदा में M/s Gurukripa Natural Forest Products, Prop. Shri Tejram Yadav, H.No. 100, Jalaram Mandir, Rajnandgaon, Distt. Rajnandgaon (Chhattisgarh) को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2480 दिनांक 01.03.2019 से लाट क्रमांक 116, समिति - कोंगे, जिला यूनियन, नारायणपुर के क्रेता नियुक्त हुए थे। इस हेतु सत्यंकार की राशि रु. 2,20,950/- जमा करायी गई थी। उक्त लाट क्रेता को रु. 4419/- प्रति मानक बोरा की दर पर राशि रु. 22,09,500.00 पर विक्रय किया गया था।

ई-निविदा अधिसूचना की शर्त क्रमांक 7(II) के अनुसार सफल निविदाकार को उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, लाट के लिए परिशिष्ट-IV (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु

अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना था। क्रेता द्वारा निर्धारित समय तथा समय वृद्धि उपरांत भी करारनामा निष्पादित नहीं किया गया।

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, कांकेर वृत्त द्वारा जारी आदेश क्रमांक 30 दिनांक 23.04.2019 के द्वारा ई-निविदा अधिसूचना की शर्त क्रमांक 7(II) का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण ई-निविदा अधिसूचना की शर्त क्रमांक 7(III) के अनुरुप लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर के पत्र क्रमांक 2480 दिनांक 01.03.2019 द्वारा जारी क्रेता नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुये उपरोक्त लाट के क्रय मूल्य की 10 प्रतिशत की राशि रुपये 2,20,950.00 सत्यंकार की राशि में से लघु वनोपज संघ के पक्ष में अधिहरित की गई। इसके अतिरिक्त क्रेता M/s Gurukripa Natural Forest Products, Prop. Shri Tejram Yadav, H.No. 100, Jalaram Mandir, Rajnandgaon, Distt. Rajnandgaon (Chhattisgarh) का नाम आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षों के लिये काली सूची में दर्ज की गई।

इस प्रकार लाट क्रमांक 116, समिति - कोंगे, जिला यूनियन, नारायणपुर अधिसूचित मात्रा 500 मानक बोरा में विभागीय संग्रहण कराया गया।

वर्ष 2019 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 579 लाटों में 9.355 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 502.65 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5373/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 374 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किया गया 1 लाट, कुल 375 लाटों में से 5 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 370 लाटों में 5.658 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। इस प्रकार 370 लाटों में 5.658 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय हेतु दिनांक 30.07.2019 से दिनांक 03.08.2019 तक ई-निविदायें आमंत्रित की गई थी। उक्त ई-निविदा में प्राप्त समस्त दरों को वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 02.09.2019 में लिये गये निर्णयानुसार अमान्य कर दिया गया। संग्रहण वर्ष 2019 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट-ग** में संलग्न है।

वर्ष 2017 के 929 लाटों की पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त हो गयी है। 10 लाटों के एक भी किश्त की राशि प्राप्त नहीं हुयी है। 10 लाटों की प्रथम किश्त, 1 लाट की तृतीय किश्त की राशि प्राप्त हुयी है। लगभग 0.30 लाख मानक बोरा की राशि लगभग रू. 23.62 करोड़ की भुगतान प्राप्ति लंबित है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

(क) संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस दृष्टि से शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेश में **परिशिष्ट-घ-1** एवं **परिशिष्ट-घ-2** में दिये गये विवरण अनुसार 7 वनोपजों का क्रय किया जा रहा है। भारत सरकार से लघु वनोपज संघ को वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में रू. 153.66 करोड़ तथा राज्य सरकार से वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में रू. 51.25 करोड़ इस प्रकार कुल रू. 204.91 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उक्त योजना की जिला स्तर

पर समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य स्तर पर उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 25.07.2014 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति'' का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 22.09.2017 द्वारा पूर्व में गठित समिति में आंशिक संशोधन किया गया है।

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु वनोपजों की क्रय दरें भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F-No.19/17/2018-Livelihood दिनांक 26.12.2018 द्वारा 40 लघु वनोपज एवं पत्र क्रमांक F-No.19/17/2018-Livelihood दिनांक 11.01.2019 द्वारा 09 लघु वनोपज कुल 49 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु दरें निर्धारित की गई हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर द्वारा 49 लघु वनोपजों में से पत्र क्रमांक एफ 13-01/2018/10-2 दिनांक 01.07.2019 के माध्यम से वर्ष 2019-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्नानुसार 15 लघु वनोपज क्रय किये जाने की अनुमति दी गई है।

क्र.	लघु वनोपज का नाम	एम. एस. पी (दर प्रति कि.ग्रा. रू.)
1	इमली (बीज सहित)	31
2	सालबीज	20
3	महुआ बीज	25
4	चिरौंजी गुठली	109
5	हर्रा	15
6	रंगीनी लाख	130
7	कुसुमी लाख	203
8	गम कराया (कुलु गोंद)	98
9	नागरमोथा	27
10	शहद	195
11	बहेड़ा	17
12	बेल गुदा	27
13	कालमेघ	33
14	फूलझाडू	30
15	पुवाड बीज	14

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपरोक्त 15 लघु वनोपजों में से निम्नानुसार 03 लघु वनोपजों में बोनस दिये जाने की स्वीकृति दी गई है।

क्र.	लघु वनोपज का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि (रू. प्रति किलोग्राम में)	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वनोपज के संग्रहण दर के साथ बोनस - प्रोत्साहन राशि प्रति किलोग्राम (न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि)	न्यूनतम समर्थन मूल्य + बोनस (प्रोत्साहन) राशि = कुल रू. प्रति किलोग्राम (3+4)
1	2	3	4	5
1.	कुसुमी लाख	203/-	22/-	225/-
2.	रंगीनी लाख	130/-	20/-	150/-
3.	कुल्लू गोंद	98/-	22/-	120/-

उक्त दर पर लघु वनोपज क्रय हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/न्यू.स.मू./2019 /6650 दिनांक 08.07.2019 द्वारा समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन, छ.ग को निर्देश दिये गये।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत अगले चरण में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक 19/11/2014-CP&R/Livehood (Vol.II) दिनांक 19.02.2018 द्वारा Development of Value Chain for MFP के अन्तर्गत हाट - बाजार क्षेत्रों में मूल सुविधा सह भंडारण केन्द्र एवं गोदाम निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 हेतु राशि रू. 119.21 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केन्द्रांश 75 प्रतिशत की राशि रू. 89.4075 लाख एवं राज्यांश 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी रू. 29.8025 लाख होती है। उक्त राशि वर्ष 2018-19 में प्राप्त हो चुकी है।

उक्त राशि से निम्नानुसार कार्य कराया जाना है:

अ. ब्लाक / रेंज / सबरेंज स्तर पर 50 मि.टन क्षमता लागत राशि **रू. 3.25** लाख से दक्षिण कोंडागांव (बफना), केशकाल (लंजोड़ा), बलरामपुर (चान्दो), जगदलपुर (कोलावल) एवं सूरजपुर (चेन्द्रा)।

ब. हाट बाजार स्तर पर पेयजल, प्लेटफार्म शेड युक्त बाजार सुविधा केन्द्र (मार्केट फेसीलिटी सेंटर) क्षमता 25 मि.टन, लागत **रू.5.00** लाख से दक्षिण कोंडागांव (चिपावण्ड), केशकाल (धनोरा), बलरामपुर (बलरामपुर), जगदलपुर (केशरपाल), सरगुजा (बांसबाड़ी) एवं पश्चिम भानुप्रतापुर (पी.व्ही 37)।

स. जगदलपुर जिला यूनियन अन्तर्गत विभिन्न वनोपज के भंडारण हेतु कंगोली में 1000 मी.टन भंडारण क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु राशि रू. 36.71 लाख।

द. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित बोनस - पारिश्रमिक के व्यापक प्रचार - प्रसार हेतु **50,000** नग पोस्टर, **5 लाख** नग ब्रोशर एवं **4,000** नग सन बोर्ड का मुद्रण कराया गया। उक्त का विमोचन विधान सभा में माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्य मंत्री जी एवं माननीय मो. अकबर, वन मंत्री जी छ.ग शासन द्वारा किया गया। तद्परांत प्रचार - प्रसार हेतु समस्त जिला यूनियन छ.ग को भेजा गया ।

(v) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2017 के तेन्दू पत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 749.63 करोड़ का संग्राहकों को वितरण लगभग पूर्ण किया जा चुका है । संग्रहण वर्ष 2017 में जिला यूनियनवार प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य एवं वितरित की गई राशि का विवरण **परिशिष्ट-ड.** में संलग्न है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दू पत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन के निर्देश उपरांत लगभग 171 करोड़ की राशि का तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जावेगा।

(vi) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य ''टैली साफ्टवेयर'' के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 का लेखांकन कार्य ''टैली साफ्टवेयर'' के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटाराइजेशन शीघ्र शुरु किया जा रहा है।

(vii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च्य न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च्य न्यायालय में विचाराधीन है।

(viii) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार जारी की जा रही मनी रसीद के अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जाने हेतु व्यवस्था दिनांक 05.05.2014 से लागू की गई है। उक्त मनी रसीदों का विवरण संघ मुख्यालय का प्रमाणक क्रमांक / दिनांक संघ की वेबसाइट में प्रत्येक दिवस प्रदर्शित होगी।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे केताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार केताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातें में जमा कराई जा रही है।

जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत् सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेंस खातें खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन हेतु संघ पत्र क्रमांक/वनो./संघ/वित्त/2018/15130 रायपुर दिनांक 05.11.2018 द्वारा स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय के मासिक आहरण सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला यूनियन के शेष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु उनकी मांग अनुसार पृथक से आहरण एवं भुगतान की अनुमति दी जाती हैं।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा प्रतिदिन अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख का आहरण / भुगतान किया जा सकता है।

(ix) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरण

वर्ष 2018-19 में शासन निर्णय अनुसार 12.01 लाख पुरुष तेन्दू पत्ता संग्राहकों को एक जोड़ी चरणपादुका क्रय कर वितरित की जा चुकी है।

(x) वनोपज सहकारी संस्थाओं का संचालक मण्डल

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ एवं जिला लघुवनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मण्डल का गठन किया गया है। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को पूर्ण कर निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किया गया:-

क्रमांक	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम
1	श्री भरत साय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	अध्यक्ष
2	श्री टीकम टॉडिया, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	उपाध्यक्ष
3	कु.समीरा पैकरा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक

4	श्रीमती सुशीला बाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
5	श्री कपूरचंद बिसाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
6	श्री यज्ञदत्त शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक

(xi) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन - लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

वन क्षेत्रों में अकाष्ठीय वनोपज के विकास हेतु **''लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना''** की जा रही है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य किये जाते है। सभी कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना के तहत 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों (200 से 500 हे. तक के क्षेत्र) की स्थापना मार्च 2020 तक की जानी है।

3. लाख विकास

अ. राज्य शासन की लाख विकास योजना

लाख की लाभप्रद खेती एवं प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीणों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एवं राज्य में लाख खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख विकास योजना नामक नवीन बजट मद वर्ष 2007-08 से प्रारंभ किया गया है। इस मद में वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक रू. 2260.00 लाख का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि रू. 210.00 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त राशि रू. 250.00 लाख से लाख पालन की स्वीकृत परियोजनाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कार्य सम्पादन हेतु राशि प्रदाय के साथ ही साथ लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र, माकड़ी में लाख पालक कृषकों / मास्टर ट्रेनर्स के लिए आगामी प्रशिक्षण आयोजित की जावेगी। वर्तमान में लाख विकास योजना अंतर्गत 23997 हितग्राहियों के माध्यम से 84478 कुसुम, 502768 पलाश तथा 5442 बेर वृक्षों में लाख की खेती की जा रही है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2019-20 तक इस योजना अंतर्गत कुल प्रदाय राशि रू. 2023.11 लाख के विरूद्ध अद्यतन स्थिति में राशि रू. 1638.68 लाख व्यय कर निम्न कार्य सम्पादित किये गये :-

- लाख विकास योजना अंतर्गत अभी तक लाख पालन की 96 परियोजनाओं के लिए कुल राशि रू. 1413.68 लाख स्वीकृत की जा चुकी है जिसके विरूद्ध रू. 1141.43 लाख विभिन्न जिला यूनियनों को मुक्त की गई। जिला यूनियनों में उन्हें प्रदाय राशि के विरूद्ध रू. 1002. 31 लाख अद्यतन स्थिति में व्यय की जा चुकी है। जिला यूनियनवार विवरण <u>**परिशिष्ट-च**</u> में संलग्न है।

- योजना अंतर्गत प्रदेश में वृत्त स्तर पर 6 लाख फेसिलिटेशन केंद्रो की स्थापना की गयी, जिनमें एक जूनियर एक्सीक्यूटिव तथा एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लाख की भी नियुक्ति की गई है। इनके द्वारा ग्राम स्तर पर लगभग 14500 ग्रामीणों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 105 प्रबंधकों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में IINRG रांची द्वारा लाख उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन प्रबंधको द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर लगभग 22000 ग्रामीणों/कृषकों को लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- योजनांतर्गत जिला यूनियन कांकेर में एक लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र की स्थापना की गई है, जहां माह मई 2013 से दिसंबर 2015 तक 302 मास्टर ट्रेनर्स (लाख पालन) एवं लाख पालक कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ब) तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि से लाख पालन कार्य

मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 15.09.2015 में लिए गए निर्णय अनुसार संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षो में तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि में से रू. 98.00 करोड़ की राशि से लाख पालन की एक सप्त वर्षीय (2016-17 से 2022-23) योजना में 25.00 लाख पोषक वृक्षों में, 3170 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 63675 हितग्राहियों द्वारा लाख पालन का कार्य प्रस्तावित है । वर्ष 2018-19 की अद्यतन स्थिति में तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि में से रू. 1005.52 लाख की राशि से लाख पालन की कुल 75 परियोजनाएं स्वीकृत किये जा चुके है तथा मुक्त राशि रू. 700.99 लाख के विरूद्ध जिला यूनियनों द्वारा रू. 349.47 लाख अद्यतन स्थिति में व्यय की जा चुकी है, इस तरह परियोजना अंतर्गत 45389 कुसुम वृक्ष तथा 100870 पलास वृक्षों के माध्यम से 10645 हितग्राही लाभांवित हो रहे है तथा यह प्रक्रिया जारी है । विवरण संलग्न **परिशिष्ट-च** में दर्शाया गया है । वर्तमान में 15 प्रतिशत राशि से स्वीकृत लाख पालन परियोजनांतर्गत प्रावधानित मास्टर ट्रेनर्स में से कुल 94 मास्टर ट्रेनर्स को IINRG रांची द्वारा लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

अतः लाख विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संघ द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रगति से संचालक मंडल को अवगत कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

4. अकाष्ठीय लघु वनोपज संबंधी कार्य

4.1 छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना

यूरोपियन कमीशन परियोजना समाप्ति के पश्चात परियोजनांतर्गत संचालित कार्यों को आगे बढ़ाने तथा अकाष्ठीय लघु वनोपज रोजगारोन्मुखी कार्य के विस्तार के लिये संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से एक सात वर्षीय परियोजना ''छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना'' के नाम से स्वीकृत की गयी है। उक्त सात वर्षीय परियोजना की कुल लागत राशि रू. 29.50 करोड़ है, जिसमें निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	घटक का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)
1.	अकाष्ठीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	155.00
2.	भण्डारण	95.00
3.	विपणन	185.00
4.	अनुसंधान एवं विस्तार	135.00
5.	हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	260.00
6.	लघु वनोपज संरक्षण	60.00
7.	सूचना प्रबंधन प्रणाली	50.00
8.	मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास	2010.00
	योगः-	2950.00

4.2 लघु वनोपज प्रसंस्करण

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत स्थापित 06 वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है। इन केन्द्रों में 90 वनौषधि उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आंवला, बेल, जामुन, तिखुर, शहद, चिरौंजी एवं काजू आदि हर्बल खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण एवं माहूल पत्ता से दोना एवं प्लेट बनाने का कार्य किया जाता है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों से शहद का संग्रहण कर 04 केन्द्रों में शहद प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है।

4.3 विपणन

राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है, जहाँ से वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु **''छत्तीसगढ़ हर्बल्स''** ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित NWFP मार्ट में वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्रय मूल्य (रू. लाख में)	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
2018-19	127.60	137.36

माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु विभिन्न जिलों में कुल 30 संजीवनी की स्थापना की गयी है। इन संजीवनी विक्रय केन्द्रों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों का संघ मुख्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय किया जाता है। वृत्त मुख्यालय स्तरीय संजीवनी विक्रय केन्द्रों में प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया तथा कैशलेश लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु अनुकरणीय पहल करते हुये इलेक्ट्रानिक भुगतान की सुविधा सुनिश्चित की गयी है।

छ.ग प्रदेश में हर्बल उत्पादों के प्रचार प्रसार एवं आम जनता के लिए सुलभ उपलब्धता के उद्देश्य से **मोबाईल वैन** का संचालन रायपुर शहर के प्रमुख स्थानों में किया जा रहा है।

ट्रायफेड के उत्पाद जैसे हेण्डीक्राफ्ट, हेण्डलूम एवं नेचरल ऑर्गेनिक उत्पाद को संजीवनी में रखकर विक्रय करने तथा छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ. अन्तर्गत तैयार हर्बल उत्पादों को ट्रायफेड के शो रूम से विक्रय करने हेतु वनोपज संघ एवं ट्रायफेड के मध्य अनुबंध किया गया।

4.4 प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण

लघु वनोपज के विनाशविहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं भण्डारण हेतु FRLHT के माध्यम से एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 360 हितग्राही प्रशिक्षित हुये।

4.5 लघु वनोपज का प्रसंस्करण

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं मूल्यसंवर्धन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। इन प्रसंस्करण केन्द्रों का संचालन पी.पी.पी. मोड पर किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला यूनियन का नाम	भविष्य की कार्ययोजना		
		प्रस्तावित इकाईयों की संख्या	उत्पाद का प्रकार	प्रस्तावित निवेश राशि (रू. लाख में)
1	दंतेवाड़ा	1	इमली कन्सनट्रेट, पावडर एवं महुआ बीज तेल प्रसंस्करण इकाई	1356.00
2	जगदलपुर	1	इमली ब्लाक एवं इमली बीज प्रसंस्करण इकाई	149.61
3	कांकेर	1	सीड लाख, चपड़ा, ब्लीच लाख एवं एल्यूरेटिक एसिड प्रसंस्करण इकाई	488.00
4	बलौदाबाजार	1	हर्बल एक्स्ट्रेक्शन एवं आयुर्वेदिक औषधी (मानव एवं पशु स्वास्थ्य संरक्षण) प्रसंस्करण इकाई	2786.00
5	बिलासपुर	1	आमला तथा बेल के पल्प, जूस एवं स्क्वैश प्रसंस्करण इकाई	1005.25
6	सूरजपुर	1	कैसिया टोरा (चरौटा) गोंद एवं पाउडर प्रसंस्करण इकाई	507.00
	योग :-	**6**		**6291.86**

5. आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त राशि रू. 2.32 करोड़ में से रू. 2.00 करोड़ से जिला यूनियन राजनांदगांव (मानपुर), बलरामपुर (रामानुजगंज), पश्चिम भानुप्रतापुर (पखांजुर), बीजापुर (बीजापुर) एवं सुकमा (दोरनापाल) में गोदाम निर्माण एवं समिति प्रबंधक, शहद संग्राहकों को प्रशिक्षण का कार्य कराया गया। शेष राशि रू. 0.32 करोड़ राज्य शासन से अप्राप्त है।

(xii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृद्धि

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय दिनांक 01.11.2017 से रूपये 12,500/- प्रतिमाह किया गया है।

तत्पश्चात् प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का परिश्रमिक में वृद्धि हेतु, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक रूपये 12,500/- से बढ़ाकर रूपये 15,000/- करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 13.09.2019 की स्थिति में

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	अपर प्रबंध संचालक (अ.प्र.मु.सं.)	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	उप महा प्रबंधक (उप वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	प्रबंधक लेखा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	2	4	30	18	12	38	21	17
11	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
15	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	7	3	11	7	4
18	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	150	30	180	150	30
19	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
22	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
23	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
24	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
25	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
26	लेखापाल	4	3	1	6	6	0	27	15	12	37	24	13
27	कनिष्ट लेखापाल	7	6	1	0	0	0	21	15	6	28	21	7
28	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	9	-2	6	6	0	31	25	6	44	40	4
29	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	15	6	7	6	1	61	36	25	89	58	32
32	वाहन चालक	12	9	3	3	3	0	19	11	8	34	23	11
33	दफ्तरी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
34	संदेशवाहक	17	9	8	12	9	3	48	30	18	77	48	29
35	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	30	7	37	30	0
36	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योगः-	109	75	34	40	32	8	464	337	127	613	445	162

महा प्रबंधक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

परिशिष्ट-ख

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2018

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम मे विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
				लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटो में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बीजापुर	45	41	76884.609	40	75763.444	430079273.78	5676.61					1	1121.165
सुकमा	48	20	35912.868	11	22180.958	95409481.62	4301.41					9	13731.910
दंतेवाड़ा	8	7	13254.315	3	8432.490	38053043.31	4512.67					4	4821.825
जगदलपुर	15	15	24325.822	12	21140.847	81315808.06	3846.38					3	3184.975
दक्षिण कोंडागांव	11	11	21704.813	7	14753.977	55071069.33	3732.63					4	6950.836
केशकाल	16	16	30763.290	11	20904.320	82564683.23	3949.65					5	9858.970
नारायणपुर	12	12	22357.805	5	10591.490	43081541.21	4067.56	2	1959.390	8948823.00	4567.15	5	9806.925
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	56	92774.338	27	43501.285	236007042.49	5425.29	7	11075.033	34419114.00	3107.81	22	38198.020
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	53	73202.740	18	28640.810	135800209.92	4741.49	6	7668.260	30965398.00	4038.13	29	36893.670
कांकेर	24	24	33683.443	22	31703.225	186299961.25	5876.37					2	1980.218
राजनांदगांव	51	51	74620.570	43	64113.205	329235830.75	5135.23	1	1953.500	12226957.00	6259.00	7	8553.865
खैरागढ़	24	24	34476.310	12	14027.415	59502306.24	4241.86					12	20448.895
बालोद	18	18	22179.300	18	22179.300	146071070.75	6585.92	---	---	---	---	---	---
कवर्धा	24	24	42216.370	18	31900.010	171993668.94	5391.65					6	10316.360
धमतरी	23	23	28394.805	23	28394.805	159966441.67	5633.65	---	---	---	---	---	---
गरियाबंद	62	62	79539.825	55	71137.480	473823909.09	6660.68					7	8402.345
महासमुंद	69	69	82002.970	69	82002.970	540669206.74	6593.29	---	---	---	---	---	---
बलौदा बाजार	16	16	21289.680	15	20408.870	132451690.75	6489.91					1	880.810
बिलासपुर	21	21	29489.110	21	29489.110	173447145.81	5881.74	---	---	---	---	---	---
मरवाही	14	14	18089.329	14	18089.329	109841041.31	6072.15	---	---	---	---	---	---
जांजगीर-चांपा	7	7	9667.255	3	2105.500	8955131.86	4253.21					4	7561.755
रायगढ़	41	41	55257.875	41	55257.875	331649723.40	6001.85	---	---	---	---	---	---
धरमजयगढ़	53	53	74036.225	53	74036.225	524990903.65	7091.00	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कोरबा	34	34	48430.995	33	47385.645	353929032.57	7469.12					1	1045.350
कटघोरा	39	39	65129.395	38	64193.615	450087677.00	7011.41					1	935.780
जशपुर नगर	20	20	38433.680	20	38433.680	190673601.35	4961.11	---	---	---	---	---	---
मनेन्द्रगढ़	20	20	39477.715	20	39477.715	210577872.05	5334.09	---	---	---	---	---	---
कोरिया	16	16	35855.490	16	35855.490	203028026.56	5662.40	---	---	---	---	---	---
सरगुजा	15	15	33595.225	15	33595.225	179293174.66	5336.86	---	---	---	---	---	---
बलरामपुर	64	64	152792.660	64	152792.660	681024954.71	4457.18	---	---	---	---	---	---
सूरजपुर	30	30	70196.150	30	70196.150	378404012.29	5390.67	---	---	---	---	---	---
कुल योग	951	916	1480034.977	777	1272685.120	7193298536.35	5652.06	16	22656.183	86560292.00	3820.60	123	184693.674

कार्यकारी संचालक (व्यापार एवं विकास)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2019

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
				लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बीजापुर	45	45	90204.525	45	90204.525	491799518.16	5452.05	---	---	---	---	---	---
सुकमा	48	44	85438.316	14	27454.045	120256336.25	4380.28					30	57984.271
दंतेवाड़ा	11	11	22353.038	5	9306.787	33498658.21	3599.38					6	13046.251
जगदलपुर	15	15	19067.778	6	8469.267	25008972.21	2952.91					9	10598.511
दक्षिण कोंडागांव	11	11	21969.798	0								11	21969.798
केशकाल	16	16	30401.276	6	13747.275	51202491.82	3724.56					10	16654.001
नारायणपुर	12	12	24308.099	1	1613.580	5663665.80	3510.00					11	22694.519
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	56	98407.996	55	96991.051	532289633.22	5488.03					1	1416.945
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	55	85001.855	41	72944.850	355025146.12	4867.04					14	12057.005
कांकेर	24	24	33575.785	22	31937.455	182584571.07	5716.94					2	1638.330
राजनांदगांव	51	51	75010.400	40	64156.715	361446543.93	5633.81					11	10853.685
खैरागढ़	24	24	33232.160	6	7577.630	34370572.60	4535.79					18	25654.530
बालोद	18	18	20394.850	16	18372.550	102762760.25	5593.28					2	2022.300
कवर्धा	24	24	35284.025	0								24	35284.025
धमतरी	23	23	22924.443	18	18131.680	98072443.31	5408.90					5	4792.763
गरियाबंद	62	62	78521.385	52	67569.910	405753886.01	6004.95					10	10951.475
महासमुंद	69	69	77467.315	56	66498.150	357275633.39	5372.72					13	10969.165
बलौदा बाजार	16	16	19722.850	12	14742.080	80979148.65	5493.06					4	4980.770
बिलासपुर	21	21	26247.495	11	15115.275	79782716.99	5278.28					10	11132.220
मरवाही	14	14	22525.655	7	12144.440	67630009.54	5568.80					7	10381.215
जांजगीर-चांपा	7	7	9860.545	1	957.000	4076820.00	4260.00					6	8903.545
रायगढ़	41	41	52323.645	25	34508.915	178611060.46	5175.79					16	17814.730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
धरमजयगढ़	53	53	73116.072	43	59334.385	345877196.31	5829.29					10	13781.687
कोरबा	34	34	53344.280	28	45776.510	283007817.16	6182.38					6	7567.770
कटघोरा	39	39	67520.440	26	55187.610	325252725.52	5893.58					13	12332.830
जशपुर नगर	20	19	26639.098	4	6538.030	29103320.00	4451.39					15	20101.068
मनेन्द्रगढ़	20	20	48528.180	6	16602.610	80447318.89	4845.46					14	31925.570
कोरिया	16	16	28084.815	4	12523.345	68566419.55	5475.09					12	15561.470
सरगुजा	15	15	31224.170	6	19651.565	101943256.10	5187.54					9	11572.605
बलरामपुर	64	64	124276.320	11	17047.470	67516795.30	3960.52					53	107228.850
सूरजपुर	30	30	64305.247	12	30381.740	156664123.25	5156.52					18	33923.507
कुल योग	954	949	1501281.856	579	935486.445	5026469560.07	5373.11					370	565795.411

कार्यकारी संचालक (व्यापार एवं विकास)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

परिशिष्ट-घ-1

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत वर्षवार क्रय वनोपज एवं संग्राहकों को भुगतान की गई राशि की जानकारी

वर्ष 2014-15				
क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	125676.050	10.00	12,56,76,050.00
2	हर्रा	34644.720	11.00	3,81,09,192.00
	योगः-	**195962.87**		**16,37,85,242.00**

वर्ष 2015-16				
क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	111982.610	10.00	11,19,82,610.00
2	हर्रा	57126.900	11.00	6,28,39,590.00
3	इमली	35445.650	22.00	7,79,80,430.00
4	चिरौंजी गुठली	6329.280	100.00	6,32,92,800.00
5	महुआ बीज	4856.230	22.00	1,06,83,706.00
6	कुसमी लाख	3336.64	320.00	10,67,72,480.00
7	रंगीनी लाख	1402.028	230.00	3,22,46,644.00
	योगः-	**220479.338**		**46,57,98,260.00**

वर्ष 2016-17				
क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	2807.580	10.00	28,07,580.00
2	हर्रा	3087.760	8.00	24,70,208.00
3	इमली	893.610	22.00	19,65,942.00
4	चिरौंजी गुठली	7860.293	100.00	7,86,02,930.00
5	महुआ बीज	50.700	22.00	1,11,540.00
6	कुसमी लाख	3506.339	320.00	11,22,02,848.00
7	रंगीनी लाख	1011.066	230.00	2,32,54,518.00
	योगः-	**19217.348**		**22,14,15,566.00**

वर्ष 2017-18				
क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	123181.970	10.00	12,31,81,970.00
2	हर्रा	178.820	11.00	1,96,702.00
3	इमली	0.000	22.00	-
4	चिरौंजी गुठली	135.670	60.00	8,14,020.00
5	महुआ बीज	1490.445	20.00	29,80,890.00
6	कुसमी लाख	20.436	150.00	3,06,540.00
7	रंगीनी लाख	160.995	100.00	16,09,950.00
	योगः-	**125168.336**		**12,90,90,072.00**

वर्ष 2018-19				
क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	1224.680	13.00	15,92,084.00
2	हर्रा	1802.770	15.00	27,04,155.00
2	चिरौंजी गुठली	1467.210	105.00	1,54,05,705.00
3	महुआ बीज	4.500	22.00	9,900.00
4	कुसमी लाख	890.830	200.00	1,78,16,600.00
		218.840	225.00	49,23,900.00
5	रंगीनी लाख	373.801	130.00	48,59,413.00
6		114.160	150.00	17,12,400.00
7	बहेड़ा	357.620	15.00	5,36,430.00
8	नागरमोथा	27.600	25.00	69,000.00
9	कालमेघ	113.410	15.00	1,70,115.00
	योगः-	**6595.421**		**4,97,99,702.00**
	महायोगः-	**529379.428**		**1,02,98,88,842.00**

दिनांक 25.09.2019 की स्थिति में				
क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान योग्य राशि (रू. लाख में)
1	सालबीज	60968.42	20.00	12,19,36,840.00
2	हर्रा	0.00	15.00	-
3	इमली बीज सहित	959.92	31.00	29,75,752.00
4	चिरौंजी गुठली	959.92	109.00	1,04,63,128.00
5	महुआ बीज	2478.87	25.00	61,97,175.00
6	कुसुमी लाख	259.54	225.00	58,39,650.00
7	रंगीनी लाख	121.707	150.00	18,25,605.00

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
5	महुआ बीज	2478.87	25.00	61,97,175.00
6	कुसुमी लाख	259.54	225.00	58,39,650.00
7	रंगीनी लाख	121.707	150.00	18,25,605.00
8	कालमेघ	11.700	33.00	38,610.00
9	बहेड़ा	1133.700	17.00	19,27,290.00
10	नागरमोथा	0.000	27.00	-
11	कुल्लू गोंद	0.000	120.00	-
12	पुवाड़	0.000	14.00	-
13	बेलगुदा	0.000	27.00	-
14	शहद	0.000	195.00	-
15	फूल झाड़ू	0.000	30.00	-
	योगः-	**66893.777**		**15,12,04,050.00**

कार्यकारी संचालक (परियोजना एवं विपणन)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

परिशिष्ट-घ-2

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत क्रय/विक्रय एवं लाभ/हानि पत्रक

(मात्रा क्विंटल में, राशि रू. करोड़ में)

क्र	लघु वनोपज का नाम	वर्ष	संग्रहित मात्रा	विक्रित मात्रा	सूखत मात्रा	अंतिम शेष मात्रा	कुल संग्रहित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead सहित)	विक्रित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead सहित)	कुल विक्रय मूल्य	लाभ/(हानि)	
1	2	3	4	5	6	7 (4-5-6)	8	9	10	11 (10-9)	
1	सालबीज	2014	1,25,676.050	1,24,778.165	897.885	0.000	14.91	14.91	16.57	1.66	(1.76)
		2015	1,11,982.610	1,11,704.160	278.450	(0.000)	13.28	13.28	5.85	(7.43)	
		2016	2,807.580	2,807.580	-	-	0.33	0.33	0.31	(0.02)	
		2017	1,23,126.470	1,23,126.470	-	-	14.60	14.60	18.63	4.03	
2	हर्रा	2014-15	34,644.720	34,178.260	466.460	(0.000)	4.40	4.40	1.56	(2.84)	(6.86)
		2015-16	57,126.900	57,126.900	-	-	7.26	7.26	3.33	(3.93)	
		2016-17	3,087.760	3,087.760	-	-	0.30	0.30	0.21	(0.09)	
		2017-18	178.820	127.070	-	51.750	0.02	0.02	0.01	(0.01)	
3	इमली	2015	35,445.650	35,445.650	-	-	8.99	8.99	8.64	(0.35)	(0.29)
		2016	893.610	893.610	-	-	0.23	0.23	0.29	0.06	
4	कुसमी लाख	2015	3,336.636	3,326.546	10.090	0.000	11.18	11.18	2.27	(8.91)	(15.43)
		2016	3,506.339	3,503.479	-	2.860	11.75	11.74	5.22	(6.52)	
		2017	20.436	20.436	-	-	0.03	0.03	0.03	-	
5	रंगीनी लाख	2015	1,402.028	1,386.228	15.800	(0.000)	3.41	3.41	0.71	(2.70)	(4.24)
		2016	1,011.066	974.456	-	36.610	2.46	2.37	0.87	(1.50)	
		2017	160.995	160.715	-	0.280	0.18	0.18	0.14	(0.04)	

क्र	लघु वनोपज का नाम	वर्ष	संग्रहित मात्रा	विक्रित मात्रा	सूखत मात्रा	अंतिम शेष मात्रा	कुल संग्रहित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead सहित)	विक्रित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead साहित)	कुल विक्रय मूल्य	लाभ/(हानि)	
1	2	3	4	5	6	7 (4-5-6)	8	9	10	11 (10-9)	
6	चिरौंजी गुठली	2015	6,329.280	6,323.780	5.500	-	6.64	6.64	2.18	(4.46)	(9.91)
		2016	7,860.293	7,860.293	-	-	8.25	8.25	2.83	(5.42)	
		2017	135.670	135.670	-	-	0.09	0.09	0.06	(0.03)	
7	महुआ बीज	2015	4,856.229	4,856.229	-	-	1.17	1.17	0.96	(0.21)	(0.27)
		2016	50.700	50.700	-	-	0.12	0.01	0.01	-	
		2017	1,490.445	1,490.445	-	-	3.30	0.33	0.27	(0.06)	
		योग:-	5,25,130.287	5,23,364.602	1,674.185	91.500	112.90	109.72	70.95		(38.77)
		प्रतिशत %:-		99.66%	0.32%	0.02%					35.34%
									कुल लाभ		5.75
									कुल हानि		(44.51)
									शुद्ध हानि		(38.76)
									75% Central		29.07
									25% State Govt.		9.69

कार्यकारी संचालक (परियोजना एवं विपणन)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

परिशिष्ट-ड.

संग्रहण वर्ष 2017 के तेन्दू पत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक हेतु वितरण की प्रगति (रूपये में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	कुल समितियों की संख्या	वितरण समारोह पर व्यय होने वाली राशि / 5/- प्रति मा.बो.	प्रोत्साहन पारिश्रमिक (80 प्रतिशत) समारोह व्यय सहित	वितरित राशि	वितरण से शेष राशि	वितरण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बीजापुर	28	4.00.573	48.29.65.588	48.29.65.588	-	100.00
2	सुकमा	25	4.90.221	39.07.39.046	39.02.48.825	4.90.221	99.87
3	दंतेवाड़ा	7	1.10.399	6.82.27.851	6.82.27.851	-	100.00
4	जगदलपुर	15	1.32.184	5.90.75.678	5.90.75.678	-	100.00
5	दक्षिण कोण्डागांव	13	1.15.846	7.31.30.093	7.31.30.093	-	100.00
6	केशकाल	16	1.50.440	8.50.54.417	8.50.54.417	-	100.00
7	नारायणपुर	8	1.24.759	7.86.54.213	7.86.54.213	-	100.00
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	42	4.91.762	49.42.38.643	49.42.38.643	-	100.00
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	41	4.14.455	31.38.63.981	31.38.63.981	-	100.00
10	कांकेर	21	1.88.957	18.91.05.068	18.91.05.068	-	100.00
11	राजनांदगांव	50	4.28.327	41.03.65.818	41.03.65.818	-	100.00
12	खैरागढ़	20	2.30.301	16.43.85.470	16.43.85.470	-	100.00
13	बालोद	17	1.41.594	12.64.51.166	12.64.51.166	-	100.00
14	कवर्धा	19	2.16.171	16.47.24.015	16.47.24.015	-	100.00
15	धमतरी	26	1.31.368	11.58.43.845	11.58.43.845	-	100.00
16	गरियाबंद	70	4.19.827	45.73.17.161	45.73.17.161	-	100.00
17	महासमुंद	75	4.74.496	43.14.58.329	43.14.58.329	-	100.00
18	बलौदाबाजार	24	1.24.806	10.69.38.730	10.69.38.730	-	100.00
19	बिलासपुर	23	1.66.139	13.79.28.253	13.79.28.253	-	100.00
20	मरवाही	16	1.12.650	9.92.81.752	9.92.81.752	-	100.00
21	जांजगीर-चांपा	7	54.506	2.87.46.680	2.87.46.680	-	100.00
22	रायगढ़	53	2.94.141	26.58.79.025	26.58.79.025	-	100.00
23	धर्मजयगढ़	59	4.11.892	44.62.59.628	44.62.59.628	-	100.00
24	कोरबा	38	2.64.565	29.70.74.076	29.70.74.076	-	100.00
25	कटघोरा	44	4.08.656	39.70.04.342	39.70.04.342	-	100.00
26	जशपुरनगर	24	1.93.850	15.78.87.559	15.78.87.559	-	100.00
27	मनेंद्रगढ़	15	2.35.634	21.01.03.878	21.01.03.878	-	100.00
28	कोरिया	17	1.71.096	16.34.80.516	16.34.80.516	-	100.00
29	सरगुजा	14	1.95.175	16.10.33.133	16.10.33.133	-	100.00
30	बलरामपुर	44	8.47.317	56.87.11.599	56.87.11.599	-	100.00
31	सूरजपुर	30	4.08.235	35.09.49.803	35.09.49.803	-	100.00
	योग:-	901	85,50,342	7,49,68,79,356	7,49,63,89,135	4,90,221	99.99

कार्यकारी संचालक (व्यापार एवं विकास)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

परिशिष्ट-च

लाख पालन परियोजनाओं की जानकारी जुलाई 2019 की स्थिति में

(रू.लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	लाख विकास योजना				15% राशि से लाख पालन				योग		
		परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	प्रदाय राशि	व्यय राशि	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	प्रदाय राशि	व्यय राशि	4+8	5+9	6+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खैरागढ़	2	40.00	40.00	37.90	0	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	37.90
2	बिलासपुर	7	79.96	67.52	60.78	2	10.81	5.53	2.51	90.77	73.05	63.29
3	बालोद	3	27.21	25.01	19.05	0	0.00	0.00	0.00	27.21	25.01	19.05
4	महासमुंद	4	47.69	45.22	36.19	4	24.88	18.22	8.52	72.57	63.44	44.71
5	गरियाबंद	1	7.08	7.08	7.26	0	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	7.26
6	बलौदाबाजार	12	163.46	138.10	110.62	2	43.41	24.25	9.05	206.87	162.35	119.67
7	कोरबा	2	23.10	23.10	23.08	9	78.38	51.85	52.48	101.48	74.95	75.56
8	रायगढ़	1	9.50	9.50	9.51	0	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.51
9	धरमजयगढ़	1	8.71	8.71	8.61	8	81.78	49.65	19.01	90.49	58.36	27.62
10	मरवाही	6	90.53	56.21	42.45	0	0.00	0.00	0.00	90.53	56.21	42.45
11	मनेन्द्रगढ़	3	49.84	49.84	33.95	0	0.00	0.00	0.00	49.84	49.84	33.95
12	कवर्धा	1	15.68	15.68	12.02	2	27.66	16.40	9.83	43.34	32.08	21.84
13	बलरामपुर	6	73.27	70.81	60.82	6	129.04	72.94	45.13	202.31	143.75	105.95
14	कोरिया	2	19.40	19.40	14.57	0	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	14.57
15	राजनांदगांव	2	29.25	20.40	27.91	0	0.00	0.00	0.00	29.25	20.40	27.91
16	नारायणपुर	3	53.56	53.56	50.56	0	0.00	0.00	0.00	53.56	53.56	50.56
17	जगदलपुर	15	261.48	156.47	109.07	0	0.00	0.00	0.00	261.48	156.47	109.07
18	कांकेर	1	18.73	18.73	17.59	3	53.51	15.36	25.99	72.24	34.09	43.57
19	सरगुजा	8	102.34	102.34	102.34	2	40.85	22.98	23.48	143.19	125.31	125.82
20	गरियाबंद (उदंती)	2	30.70	30.70	29.27	0	0.00	0.00	0.00	30.70	30.70	29.27
21	धमतरी	3	43.36	22.70	20.57	0	0.00	0.00	0.00	43.36	22.70	20.57
22	पूर्व भानुप्रतापपुर	2	91.86	59.79	90.39	23	339.51	339.51	97.19	431.37	399.30	187.58
23	सूरजपुर	2	24.98	22.51	21.30	3	37.95	18.18	13.59	62.93	40.69	34.89
24	सुकमा	1	15.27	2.99	1.33	0	0.00	0.00	0.00	15.27	2.99	1.33
25	कटघोरा	1	17.85	17.85	16.75	7	56.08	30.58	29.80	73.93	48.43	46.55
26	उ.कोण्डागांव	3	39.36	39.36	24.63	0	0.00	0.00	0.00	39.36	39.36	24.63
27	दंतेवाड़ा	1	15.27	2.99	2.77	0	0.00	0.00	0.00	15.27	2.99	2.77
28	बीजापुर	1	14.33	14.33	10.97	1	22.50	7.11	12.89	36.83	21.44	23.86
29	जशपुर	0	0.00	0.00	0.00	3	59.17	28.43	0.00	59.17	28.43	0.00
	योग	96	1413.00	1141.13	1002.25	75	1005.52	700.99	349.47	2418.52	1842.12	1351.72

महा प्रबंधक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

<u>विषय क्रमांक - 3</u>

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।**

(i) बीमा योजनायें एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए नई योजना दिनांक 01.03.2018 से लागू की गई। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना उम्र 18 से 50 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए लागू होगी, उनकी बीमा राशि भी पूर्व की भांति मिलेगी। नई बीमा योजना - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर 02 लाख एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर रूपये 02 लाख की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। 51 से 59 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये आम आदमी बीमा योजना पूर्ववत लागू रहेगी। संग्राहक परिवार के बच्चों के लिये संघ से संचालित चारों शिक्षा योजनाएं पूर्ववत लागू रहेगी।

पिछले वर्ष की भांति वर्ष 2020-21 में संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये अटल समूह बीमा योजना जिसका प्रति हितग्राही बीमा राशि रू. 12,000/- है, लागू रहेगी।

(ii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं फड़ मुंशियों का समूह बीमा

संचालक मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 17.01.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 68:21 में प्रबंधकों के बीमा राशि रूपये 1.00 लाख के पारित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में एवं छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अनुमति उपरान्त तथा सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का बीमा दिनांक 19.05.2017 से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा रूपये 1,00,000/- का बीमा कराया गया है, जो वर्ष 2019-20 में भी लागू रहेगी। बीमित प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को राशि रूपये 1,00,000/- उपलब्ध हो सकेगा।

वर्ष 2020-21 हेतु समिति प्रबंधकों को पुनः प्रबंधक समूह बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा।

वर्ष 2020-21 हेतु फड़ मुंशियों को संग्राहक परिवार के मुखिया के बीमा योजना की तरह 18 से 50 वर्ष की आयु के फड़ मुंशियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा, जिसमें सामान्य मृत्यु होने पर

रू. 2.00 लाख एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्राप्त होगा। 50 वर्ष से 59 वर्ष के फड़ मुंशियों को प्रबंधकों की तरह रू. 1.00 लाख के बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा।

(iii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

तेन्दू पत्ता - वर्ष 2020-21 में भी विगत वर्ष की भांति तेन्दू पत्ता का संग्रहण एवं विक्रय व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से संचालित की जावेगी। अनुमानित संग्रहण लक्ष्य 16.717 लाख मानक बोरा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2017 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2020 में कुल 954 लाटों में लगभग 16.717 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 669 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

राज्य में 07 वनोपज क्रमशः सालबीज, हर्रा, इमली, चिरौंजी-गुठली, महुआ बीज, कुसमी एवं रंगीनी लाख का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2013-14 से किया जा रहा है। उपरोक्त 07 वनोपजों के अतिरिक्त अन्य 08 वनोपज क्रमशः शहद, कुल्लू गोंद, बहेड़ा, नागरमोथा, बेल गुदा, कालमेघ, पुवाड़ (चरोटा) एवं फूल झाडू का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2019-20 से प्रारम्भ किया गया है।

(v) वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में तेन्दूपत्ता का परिदान उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि का वितरण शासन के अनुमोदन उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के रूप में किया जावेगा।

(vi) तेन्दू पत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि से अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय एवं लाख विकास

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2008 से तेन्दू पत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि सहकारी समितियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय-विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन एवं लाख पालन हेतु उपलब्ध करायी जावेगी।

(vii) लाख विकास योजना

अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने लाख विकास योजना मद (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित राशि रू. 4.03 करोड़ से लाख विकास संबंधी कार्य कराये जावेंगें ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत् स्वीकृत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस के तहत् वर्ष 2019-20 में परियोजना की शेष राशि रू. 3.74 करोड़ से अवशेष कार्य संपादित किया जाना है।

(viii) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 200 से 500 हेक्टेयर तक के 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किया जावेगा साथ ही विगत वर्षों के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रू. 135.00 लाख (प्रस्तावित) एवं संघ मद से रू. 1204.24 लाख का प्रावधान लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए रखा गया है।

विषय क्रमांक - 4

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट की स्वीकृति।

वर्ष 2020-21 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित हैः-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2020	16.717	लाख मानक बोरा	5000.00 प्रति मानक बोरा	83,585.00
			योग			83,585.00

(ब) तेन्दू पत्ता संग्राहकों के बीमा पर अनुमानित व्यय

अ.क्र.	विवरण	राशि (रू. लाख में)
1.	राज्य शासन से बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	1,465.00
	योग	**1,465.00**

(स) लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	भारत सरकार जनजाती कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत क्रय की जाने वाले वनोपज हेतु प्राप्त अनुदान	15,000.00
2.	लाख विकास योजना	275.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	350.00
4.	प्रधान मंत्री वन धन विकास योजना	500.00
5.	हाट बाज़ार उन्नयन	500.00
6.	संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से ''छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना''	361.00
	योग	**16,986.00**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रूपये लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	दिनांक 31.08.19 तक का वास्तविक व्यय	
1.	वेतन एवं भत्ते	525.00	498.23	550.00	204.65	750.00
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	30.00	27.76	30.00	11.66	35.00
3.	यात्रा भत्ता	50.00	37.64	50.00	7.28	50.00
4.	अन्य भत्ते	20.00	13.33	20.00	4.20	20.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	70.00	85.72	75.00	43.67	125.00
6.	पेंशन अंशदान	50.00	39.63	50.00	21.90	60.00
7.	ग्रेज्युटी (उपादान)	50.00	0.00	70.00	2.06	50.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)	60.00	0.00	60.00	0.15	50.00
9.	कर्मचारी बोनस	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
10.	स्टेशनरी आदि क्रय	15.00	1.41	15.00	1.13	15.00
11.	किताब पत्रिका क्रय	10.00	0.42	15.00	0.28	15.00
12.	फोटोकापी एवं छपाई व्यय	15.00	3.20	15.00	1.38	15.00
13.	पोस्टेज	2.00	0.10	2.00	0.21	2.00
14.	टेलीफोन	5.00	3.49	6.00	1.21	6.00
15.	भवन किराया	20.00	14.13	20.00	3.48	20.00
16.	बिजली एवं पानी व्यय	10.00	4.52	10.00	9.18	30.00
17.	विज्ञापन एवं निविदा व्यय	50.00	4.12	30.00	13.07	30.00
18.	प्रचार-प्रसार	35.00	0.00	35.00	0.00	25.00
19.	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	15.00	2.41	20.00	0.53	20.00
20.	वाहन मरम्मत व्यय	15.00	5.38	15.00	9.82	15.00
21.	वाहन ईन्धन व्यय	15.00	10.95	15.00	4.90	15.00
22.	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय	10.00	0.86	10.00	0.04	10.00
23.	प्रशिक्षण	20.00	6.68	15.00	0.00	15.00
24.	फर्नीचर मरम्मत	20.00	0.02	20.00	0.00	15.00
25.	विविध व्यय	10.00	8.28	10.00	6.87	10.00
26.	अंकेक्षण शुल्क	10.00	2.98	15.00	0.00	10.00
27.	न्यायालयीन / विधिक व्यय	50.00	42.28	20.00	1.44	30.00
28.	घसारा (डिप्रिशियेसन)	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
29.	विभिन्न भवनों, परिसरों का रख रखाव	7.00	0.00	7.00	3.04	10.00
30.	कम्प्यूटर / प्रिंटर / अन्य उपकरण मरम्मत	7.00	1.06	7.00	1.94	7.00
31.	उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00
32.	सम्मेलन व्यय	200.00	0.00	200.00	0.00	50.00
33.	विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय, प्रसंस्करण केन्द्र एवं अन्य भवन)	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	योग	**1,634.00**	**814.60**	**2,645.00**	**354.09**	**2,743.00**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान में प्रावधानित राशि रू. 70.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 85.72 लाख व्यय हुई है। जिसका मुख्य कारण संघ में सातवें वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों को भुगतान की गई एरियर की राशि में से काटी गई कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान राशि का संघ द्वारा भुगतान किया गया है। कृपया प्रावधानित राशि से अधिक व्यय हुई राशि रू. 15.72 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति देना चाहेंगे।

(द) पूंजीगत व्यय (रूपये लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	दिनांक 31.08.19 तक का वास्तविक व्यय	
1.	भवन निर्माण एवं विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय, प्रसंस्करण केन्द्र एवं अन्य भवन)	2500.00	117.14	1500.00	0.00	1500.00
2.	अंशपूंजी क्रय	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3.	वाहन क्रय	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4.	फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
5.	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय (संघ ऑफिस का डिजिटलाइजेशन)	80.00	1.78	80.00	0.00	80.00
6.	कार्यालयीन उपकरण क्रय	50.00	0.04	50.00	0.00	50.00
	योग	**3030.00**	**118.96**	**2030.00**	**0.00**	**2030.00**

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2020-21 में वनोपज की बिक्री से रू. **70,879.10** लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	70,879.10
	योग	**70,879.10**

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	**तेन्दू पत्ता** वर्ष 2018 संग्रहण काल में गोदामीकृत 2.073 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 1.847 लाख मानक बोरा की 40% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 2000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	1477.60
2.	वर्ष 2019 संग्रहण काल में गोदामीकृत 5.658 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 5.658 लाख मानक बोरा की 50% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 3500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	9901.50
3.	वर्ष 2020 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 10.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 5400/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य	54000.00
4.	वर्ष 2021 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 10.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 5500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	5500.00
	योग	**70,879.10**

(ब) विविध आय

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	2,000.00
	योग	**2,000.00**

(स) तेन्दू पत्ता संग्राहकों के बीमा हेतु प्राप्त राशि

अ.क्र.	विवरण	राशि (रू. लाख में)
1.	राज्य शासन से बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	1,465.00
	योग	**1,465.00**

(द) लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत क्रय की गई वनोपजों के विक्रय से प्राप्त राशि	15,000.00
2.	लाख विकास योजना	275.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	350.00
4.	प्रधान मंत्री वन धन योजना	500.00
5.	हाट बाज़ार उन्नयन	500.00
	योग	**16,625.00**

न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत क्रय की गई वनोपजों के विक्रय से होने वाली हानि की राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 75% तथा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 25% की जावेगी।

(इ) छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना

अ.क्र.	विवरण	राशि (रू. लाख में)
1.	संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से ''छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना''	361.00
	योग	**361.00**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	70,879.10
2.	विविध आय	2,000.00
3.	तेन्दू पत्ता संग्राहकों के बीमा हेतु प्राप्त राशि	1,465.00
4.	लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	16,625.00
5.	छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना	361.00
	महा योग	**91,330.10**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	83,585.00
2.	कार्यालयीन व्यय	2,743.00
3.	पूंजीगत व्यय	2,030.00
4.	तेन्दू पत्ता संग्राहकों के बीमा हेतु व्यय राशि	1,465.00
5.	लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	16,986.00
6.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	00.00
7.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	निरंक
	महा योग	**1,06,809.00**

आधिक्य / कमी (लाख में)

1.	कुल आय	**91,330.10**
2.	कुल व्यय	**1,06,809.00**
3.	संघ की शुद्ध हानि **(2-1)**	**- 15,478.90**

संघ की पूंजी (शीड केपीटल) (लाख में)

1.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल)	**7,945.00**

<u>अनुपूरक बजट मद का प्रस्ताव वर्ष 2019-20</u>

1. **मद का नाम- कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान** इस मद में वर्ष 2019-20 हेतु राशि रू. 75.00 लाख प्रावधानित है, जिसमें संघ के मूल कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली राशि के बराबर राशि का अंशदान संघ द्वारा भुगतान किया जाता है। संघ में वर्ष 2018-19 से सातवें वेतनमान को लागू किये जाने के फलस्वरूप इस में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय होना संभावित है। माह अगस्त तक इस मद में संघ की अंशदान की राशि रू. 43.67 लाख भुगतान की गई है, जो प्रतिमाह लगभग राशि रू. 12.00 लाख होती है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु इस मद में राशि रू. 125.00 लाख बजट का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

2. **मद का नाम- बिजली एवं पानी व्यय** इस मद में वर्ष 2019-20 हेतु राशि रू. 10.00 लाख प्रावधानित है, जिसमें संघ मुख्यालय वन-धन भवन, अटलनगर नवा रायपुर के उपभोग बिजली एवं पानी का भुगतान किया जाता है। चूंकि पुराने कार्यालय भवन से यह भवन परिसर विस्तृत है। अतः इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिक व्यय होने की संभावना है। माह अगस्त तक इस मद में राशि रू. 9.18 लाख भुगतान की गई है, जो प्रतिमाह लगभग राशि रू. 2.00 लाख होती है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु इस मद में राशि रू. 25.00 लाख बजट का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

3. **मद का नाम- वाहन ईंधन व्यय** इस मद में वर्ष 2019-20 हेतु राशि रू. 15.00 लाख प्रावधानित है, जिसमें अधिकारियों के द्वारा उपयोग वाहन के पी.ओ.एल व्यय का भुगतान किया जाता है। चूंकि संघ में पदस्थ अधिकारीगण का निवास रायपुर है एवं रायपुर से कार्यालय वन-धन भवन, अटलनगर नवा रायपुर आने - जाने एवं माह अगस्त में संघ में अधिकारियों के रिक्त पद पर शासन द्वारा नियुक्ति होने से इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिक व्यय होने की संभावना है। माह अगस्त तक इस मद में राशि रू. 4.90 लाख भुगतान की गई है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु इस मद में राशि रू. 25.00 लाख बजट का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 5

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक / लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक संचालक मण्डल के अवलोकन उपरांत आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 6

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/514 दिनांक 28.01.2014 से दिये गये निर्देशो की कण्डिका 8 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी संपरीक्षक / संपरीक्षा फर्म को किसी सोसायटी को लगातार 3 वर्षो की संपरीक्षा हेतु नियुक्ति नहीं की जा सकती है । उक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि 2 वर्ष लगातार अंकेक्षण कार्य कराया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाये द्वारा सूचीकृत चार्टड एकांउटेंट फर्मो से विज्ञापन के आधार पर परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदन में से तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म रामा के. गुप्ता एण्ड कम्पनी रायपुर को राशि रु. 1,41,000/- की दर पर संघ द्वारा गठित समिति के अनुसंशा उपरांत नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी राशि रु. 1,41,000/- की दर पर रामा के. गुप्ता एण्ड कम्पनी रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.08.2019 से वर्ष 2018-19 की अंकेक्षण दर रु. 1,41,000/- पर वर्ष 2019-20 के अंकेक्षण हेतु सहमति दी है, तदानुसार वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण रामा के. गुप्ता एण्ड कम्पनी रायपुर से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संचालक मंडल के अवलोकन उपरांत आमसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 7

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन।

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2017-18 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 19वीं आम सभा जुलाई 2018 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के वर्ष 2017-18 में पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को राशि रूपये **6,40,45,189.00** का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये **6,40,45,189.00** का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है-

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	2,14,55,138.32
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	1,28,09,037.80
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	64,04,518.90
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	19,21,355.67
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	64,04,518.90
6	भवन फंड	17%	1,08,87,682.13
7	वाहन फंड	4.50%	28,82,033.50
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	12,80,903.78
योग :-		**100%**	**6,40,45,189.00**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 8

विषयः- वर्ष 2018 सीजन के तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम पर हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत।

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर का पत्र क्रमांक/जि.यू./2786 दिनांक 20.11.2018, क्रमांक/जि.यू./2791 दिनांक 20.11.2018 एवं क्रमांक/जि.यू/2789 दिनांक 20.11.2018 से वर्ष 2018 सीजन के लिए अग्रिम में अविक्रय तेन्दू पत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम पर हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति से हानि की राशि का अपलेखन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे संचालक मण्डल की 76वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 76:05 द्वारा वर्ष 2018 सीजन के तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम पर हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि रूपये 3,53,683/- का अपलेखन किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं संघ की आगामी वार्षिक साधारण सभा में अपलेखन प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर से सम्बद्ध 3 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का हानि राशि अपलेखन हेतु जानकारी निम्नानुसार दर्शित है:-

क्र	प्राथमिक समिति का नाम एवं लाट क्रमांक	कुल संग्रहण मात्रा (मा.बो.)	कुल परिवहन मात्रा (मा.बो.)	कुल क्षति की मात्रा (मा.बो.)	हानि का प्रतिशत	कुल हानि की राशि संग्रहण दर रूपये 2500/-	अन्य व्यय 10 प्रतिशत राशि का (रूपये में)	कुल हानि की राशि (रूपये में)
1	बनियागांव(75)	1134.797	1069.415	65.382	5.76	163455.00	16345.50	179800.50
2	डिलमिली(66)	392.541	362.745	29.796	7.59	74490.00	7447.50	81937.50
3	बस्तर(77)	772.133	743.355	28.778	3.73	71945.00	-	91945.00
	योगः-	**2299.471**	**2175.515**	**123.956**	-	**309890.00**	**17793.00**	**353683.00**

संघ का पत्र क्रमांक/वनो/व्या/भं./94/7099 भोपाल, दिनांक 18.07.1994 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व्या/अंतिम संग्रहण/2018/13644 दिनांक 03.10.2018 द्वारा जिला यूनियनों को निर्देश दिये गये थे किः- किसी फड़ पर संग्रहित मात्रा में कमी 2 प्रतिशत तक क्षति होने पर प्राथमिक वनोपज समिति के संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित होने के बाद 1 प्रतिशत तक की क्षति का अपलेखन प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ, 1 प्रतिशत से ज्यादा एवं 2 प्रतिशत तक मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक एवं प्राकृतिक आपदा से हुई 2 प्रतिशत से ज्यादा अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षति होने पर जांच एवं हानि का प्रकरण मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक वन वृत्त के माध्यम से संघ मुख्यालय को भेजा जावेगा।

अतः उक्त निर्देश के तहत् जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर से सम्बद्ध 3 समितियों के हानि राशि का अपलेखन संचालक मण्डल की अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव आमसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1.	श्री राकेश चतुर्वेदी आई.एफ.एस	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री संजय शुक्ला आई.एफ.एस	अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री बी. आनन्द बाबू आई.एफ.एस	कार्यकारी संचालक (परियोजना एवं विपणन)	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री अरूण कुमार पाण्डेय आई.एफ.एस	कार्यकारी संचालक (व्यापार एवं विकास)	मुख्य वन संरक्षक
5.	श्री विश्वेश कुमार आई.एफ.एस	महा प्रबंधक	उप वन संरक्षक
6.		उप महा प्रबंधक (भण्डारण / उत्पादन)	उप वन संरक्षक
7.	श्रीमती सावित्री भगत	सचिव	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
8.	श्री सुबीर कुमार दत्ता	उप महा प्रबंधक (प्रणाली)	उप महा प्रबंधक (प्रणाली)
9.	श्री के.के धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	स्टॉफ आफिसर
10.	श्री डी.के श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी

Saurabh

①

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19

TENDU LEAVES

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		2,22,59,00,084.95	**By Sales**		8,15,45,97,657.34
Tendu Patta			*Tendu Patta*		
To Purchase		4,00,60,17,899.90	**By Direct Incomes**		24,64,59,941.15
Tendu Patta (Collection)			*Interest & Other Income*	16,41,89,988.15	
To Direct Expenses		72,20,02,645.07	*Mis. Income Through D.U.*	3,19,87,821.00	
Rebate on Tendupatta Sale	1,96,21,433.24		*PM Jeewan Jyoti Bima Yogana(Govt.)*	5,02,82,132.00	
PM Jeewan Jyoti Bima Yogana (Fed.)	3,51,19,036.00				
Godown Insurance & Premium	68,541.00				
M.F.P.Insurance Premium	14,21,052.00		**By Closing Stock**		1,28,78,76,210.85
Cycle purchase Expenses Account	3,38,04,342.00		*Tendu Patta*		
T.P.Collector's Group Insurance	4,32,39,802.00				
Stationary and Printing .P. Trade	25,503.00				
Establishment Expenses of Primary	26,83,28,365.50				
Establishment & Adminst. Exp of D.U.	31,96,36,621.33				
Socitoty Manager's Group Insurance	7,37,949.00				
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendu Patta		7,42,62,450.00			
To Surplus		2,66,07,50,729.42			
TOTAL		9,68,89,33,809.34	**TOTAL**		9,68,89,33,809.34

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		75,08,576.85			
Sal Seed			**By Closing Stock**		75,08,576.85
To Purchase			*SalSeed*		
Sal Seed Collection (Purchase)			**By Loss**		0.00
TOTAL		75,08,576.85	**TOTAL**		75,08,576.85

(2)

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		29,45,414.94	By Sales		
Harra			*Harra Sale*		
To Purchase			By Closing Stock		29,45,414.94
Harra Collection (Purchase)			*Harra*		
To Direct Expenses					
Rebate on Harra Sale			By Loss		0.00
TOTAL		29,45,414.94	TOTAL		29,45,414.94

GUM

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		4,92,410.10	By Sales		84,297.00
Gum			*Gum Sale*		
To Purchase		1,05,389.00			
Gum Collection (Purchase)					
			By Closing Stock		4,92,410.10
To Direct Expenses			*Gum*		
Rebate on Gum Sale			By Loss		21,092.00
TOTAL		5,97,799.10	TOTAL		5,97,799.10

GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Sal Seed Loss	0.00	Tendu Patta Surplus	2,66,07,50,729.42
Gum Loss	21,092.00		
Harra Loss	0.00		
To Gross Surplus	2,66,07,29,637.42		
TOTAL	2,66,07,50,729.42	TOTAL	2,66,07,50,729.42

(ARCHANA DHANGAR)	(D.K. SHRIVASTAVA)	(ARUN KUMAR PANDEY)	(RAKESH CHATURVEDI)	(CA PRAMOD KUMAR)
SUPERINTENDENT	ASST. ACCOUNT OFFICER	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19

PARTICULARS		AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES		7,80,99,084.53
House Office Rent to Owner	14,04,551.00	
Salary Account	4,98,23,036.00	
Group Gratuity Payment A/c	19,06,578.00	
Children Education Allowance	24,750.00	
Conveyance Exps.	75,208.00	
Ex Gratia A/c	47,700.00	
Group Gratuity Expenses A/c	3,39,459.44	
Group Leave Encashment Premium & Others A/c	2,50,929.09	
Group Leave Encashment Payment A/c	11,50,167.00	
E.P.F. Adminstrative Charges	11,42,455.00	
Medical Expenses	27,76,347.00	
Travelling Expenses	37,63,998.00	
Orderly Expenses	13,33,167.00	
E.P.F (Contribution)	85,72,308.00	
Pension Contribution	39,62,906.00	
Vehicle Expenses	14,39,951.00	
Vehicle Insurance Charge	85,574.00	
TO INDIRECT EXPENSES		10,83,282.00
Honorarium Expenses	1,400.00	
Lease / Rent Exp. on Federation Building	9,24,897.00	
Consumable Store	1,39,485.00	
Federation House / Building Maintenance	17,500.00	
TO MANAGERIAL EXPENSES		82,16,138.46
Training	6,67,536.00	
AGM & BOD Meeting Expense	1,65,906.00	
Computer/printer/ Other Ins. Reparing	1,05,642.00	

PARTICULARS		AMOUNT
BY GROSS SURPLUS B/F		2,66,07,29,637.42
BY INDIRECT INCOMES		83,86,04,745.39
Godown Rent Received	4,15,28,616.00	
Interest Earned on Group Gratuity	39,26,036.90	
Interest Earned on Group Leave Encashment Scheme	32,30,054.03	
Vehicle Insurance Claim	4,424.00	
Interest Earned on FDR	43,96,73,364.90	
Interest Earned on FFD	88,38,290.00	
Interest Earned on Saving Bank	34,14,07,857.00	
Miscellaneous Income	4,626.50	
Miscellaneous Received Under Information Rights	690.00	
Received From MSP Project (2% Service Charge)	-1,24,917.94	
House Rent Licence Fees [Federation]	70,048.00	
Vehicle Charges Recovered	21,883.00	
Misc. Deductions	23,773.00	
BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL (APEX BANK)	4,42,73,761.00	4,42,73,761.00

(5)

PARTICULARS		AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Furniture Repairs	1,700.00			
Photocopy & Printing Exps.	3,19,915.00			
Telephone Charges	3,48,467.22			
Vehicle Others	1,93,408.00			
Stationery & Printing	1,40,834.00			
Books & Periodicals	41,741.00			
Computer Exp	2,33,687.00			
Postage & Telegram	9,855.00			
Electricity & Water Supply	4,43,025.00			
Advertisement Expenses	4,12,624.00			
Meeting Expenses	75,431.00			
Miscellaneous Expenses	8,14,784.00			
Vidhik Fees / Litigation	42,28,000.00			
Bank Charges	13,583.24			
TO DIST.UNION COMMISSION	31.00	31.00		
TO DEPERICIATION CHARGES	1,79,80,578.50	1,79,80,578.50		
TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP. UNION	500.00	500.00		
TO AUDIT FEES	2,44,250.00	2,44,250.00		
TO SURPLUS TO SOCIETIES		3,39,37,10,517.32		
TO COMMISSION TO FEDERATION		1.00		
TO SURPLUS CARRY FORWARD TO FEDERATION P/L	4,42,73,761.00	4,42,73,761.00		
TOTAL		3,54,36,08,143.81	TOTAL	3,54,36,08,143.81

(ARCHANA DHANGAR)
SUPERINTENDENT

(D.K. SHRIVASTAVA)
ASST. ACCOUNT OFFICER

(ARUN KUMAR PANDEY)
EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(RAKESH CHATURVEDI)
MANAGING DIRECTOR

(CA PRAMOD KUMAR)
AUDITOR

RAMAK GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS, PRAMOD KUMAR, PARTNER, RAIPUR, M.No. 411545

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NET PROFIT TRANSFERED TO BALANCE SHEET	4,42,73,762.00	BY SURPLUS B/F FROM AGENCY P/L ACCOUNT	4,42,73,761.00
		BY Agency Commission B/F from Agency P/L Ac	1.00
TOTAL	4,42,73,762.00	TOTAL	4,42,73,762.00

(ARCHANA DHANGAR)
SUPERINTENDENT

(D.K. SHRIVASTAVA)
ASST. ACCOUNT OFFICER

(ARUN KUMAR PANDEY)
EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(RAKESH CHATURVEDI)
MANAGING DIRECTOR

(CA PRAMOD KUMAR)
AUDITOR

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2019

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
1000000000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1000000000.00
	PAID UP SHARE CAPITAL		18,96,87,392.14
4,37,22,122.14	*State Government*	4,37,22,122.14	
32,000.00	*District Union*	32,000.00	
10,18,64,348.40	*State Government through NCDC (Old)*	10,18,64,348.40	
54,47,622.40	*Social Justice & Empowerment*	54,47,622.40	
64,38,099.20	*Tribal & Minority Welfare*	64,38,099.20	
3,21,83,200.00	*NCDC Godowns from C.G. Govt.*	3,21,83,200.00	
	FUNDS & RESERVES		1,01,03,36,069.39
11,40,41,326.00	*General Reserves & Funds*	15,83,15,087.00	
16,40,18,501.65	*Reserve Funds*	16,40,18,501.65	
29,74,11,181.53	*Depreciation Funds*	31,53,91,760.03	
4,93,53,838.51	*Inventory Loss Funds*	4,93,53,838.51	
4,80,05,968.03	*Co-operative Training &Publicity funds*	4,80,05,968.03	
9,70,19,019.88	*Share Capital Redemption Funds*	9,70,19,019.88	
1,44,66,601.10	*Co-op. Movement & Development Funds*	1,44,66,601.10	
95,44,989.22	*Bad & Doubtful Debts Funds*	95,44,989.22	
4,50,70,384.00	*Subsidy for Godowns From NCDC*	4,50,70,384.00	
8,63,04,587.86	*Building Fund*	8,63,04,587.86	
2,28,45,332.11	*Vehicle Fund*	2,28,45,332.11	
	LOANS		96,04,417.00
46,42,860.00	*Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)*	46,42,860.00	
49,36,657.00	*Godown Loan From Central Govt.(MP Bhopal)*	49,36,657.00	
24,900.00	*Godown Loan From N.C.D.C*	24,900.00	
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		80,71,95,912.13
4,17,33,387.00	*41-2406 Aadivasi Up yojana-5091(PPA)*	5,13,58,816.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	FIXED ASSETS		69,45,11,291.59
37,38,74,899.78	*Godown & Building*	38,68,68,666.78	
3,61,00,737.00	*Land (Naya Raipur)*	3,61,00,737.00	
1,63,29,567.67	*Vehicle (Assets)*	1,63,29,567.67	
1,87,35,667.36	*Furniture and Dead Stock*	1,89,48,706.36	
1,93,46,797.60	*Computer & Computer Parts*	2,00,07,194.60	
2,27,71,985.18	*Office Machinery*	2,32,71,081.18	
16,26,00,000.00	*Office Building (Work in Progress)*	17,43,13,510.00	
34,13,506.00	*DU Office Building/Godown (Work in Progress)*	1,86,71,828.00	
	INVESTMENT		1,75,000.00
1,75,000.00	*Purchase of Share*	1,75,000.00	
	LIC (Group Grautity)		5,25,72,625.12
2,75,14,843.74	*Group Gratuity Contribution Fund*	2,52,68,806.30	
2,33,77,781.92	*Interest Accrued From Group Gratuity Fund*	2,73,03,818.82	
	LIC (Group Leave Encashment Fund)		4,61,00,758.52
3,01,62,947.39	*Group Leave E. Contribution Fund*	2,87,61,851.30	
1,41,08,853.19	*Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund*	1,73,38,907.22	
	LOANS & ADVANCES		53,09,00,993.38
26,36,021.60	*Nagrik Apurti Nigam*	26,36,021.60	
4,92,208.00	*Advance To Staff*	5,40,552.00	
13,508.00	*DFO Mis division Raipur*	13,508.00	
1,13,188.00	*DFO Raipur*	1,13,188.00	
3,941.00	*Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea*	3,941.00	
137.00	*CGCERT*	137.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	(7) LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.			
7,12,85,269.89	41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing	6,12,97,035.09		0.00	Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)	37,69,78,345.36	
9,14,10,936.73	European Commission Project [10-2406-6725]	8,07,66,764.73		0.00	Advance to Others	4,00,00,000.00	
36,51,427.00	10-2406-6792 MFP Pluckers Gr. Ins. (Janshree)	0.00		9,50,17,606.42	Mulbhoot/Development of Forest and forest Produce	9,50,17,606.42	
0.00	10-2406-6792 pm jeewan jyoti beema yojna	1,36,51,427.00		16,82,384.00	M.S.P Account	0.00	
19,95,241.75	Bastar Vikas Pradhikaran	19,95,241.75		44,75,496.00	51-NWFP Based Livelihood project in C.G State	1,55,97,694.00	
15,76,608.00	Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran	15,76,608.00		7,01,73,334.47	Charanpaduka Purchase A/c	0.00	
45,55,974.70	UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project	45,55,974.70					
7,75,70,136.00	41-2406 Lac Development Project 6854	10,07,08,642.00			GUNNY BAGS & HASSIAN BARDANA		3,96,70,104.78
42,34,84,168.04	Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)	42,96,69,949.04		1,38,45,629.00	Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)	1,38,45,629.00	
3,79,47,913.50	Lac Cultivation Project (SGSY)	3,78,38,119.00		1,25,347.78	Hassion Bardana (Bhopal)	2,58,24,475.78	
3,97,671.30	Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India	3,80,171.30					
49,80,954.50	NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPB)	48,57,953.50			DUTIES & TAXES		98,84,50,129.30
45,005.50	Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran	43,605.50		6,87,452.42	Central Sales Tax	6,87,452.42	
1,82,10,123.00	State Govt. Project for Processing Centre-5231	1,66,00,583.00		76,40,458.96	VAT Receivable (2008-09)	76,40,458.96	
17,82,914.32	Campa Cold Storage Buildings A/c	18,95,021.52		55,87,15,548.09	VAT	56,50,48,148.09	
12,93,95,396.20	Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)	0.00		29,78,79,143.29	TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE	34,90,45,798.33	
				0.00	Income Tax (TCS)	6,60,28,271.50	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		30,42,86,508.44				
75,34,525.79	Provision For Unadjusted Exp PPA	75,34,525.79		58,05,70,451.29	INTEREST RECEIVABLE	27,23,58,902.56	27,23,58,902.56
23,74,54,528.76	Provision for People's Protected area(Federation Head)	28,79,23,695.76					
46,92,257.04	Provision for Audit Fees	45,35,057.04		3,40,314.00	REPAYABLE RECOVERIES	0.00	0.00
28,41,742.95	Salseed Bonus Payable	28,41,742.95					
3,39,195.00	Group Gratuity Payable Ac	3,39,195.00		75,53,564.20	Service Chages Receivable from MSP Project	7,56,309.06	7,56,309.06
1,43,969.00	Group Leave Encachment Payable A/c	1,43,969.00					
2,47,352.90	Bills Payable	2,47,352.90			CLOSING STOCK		1,29,88,22,612.74
18,040.00	G.S.L.I. Payment A/c	18,040.00		4,92,410.10	Gum	4,92,410.10	
0.00	REPAYABLE RECOVERIES	6,02,930.00		29,45,414.94	Harra	29,45,414.94	
0.00	Society Manager Group Insurance Claim	1,00,000.00		2,22,59,00,084.95	Tendu Patta	1,28,78,76,210.85	
	DUTIES & TAXES		45,43,72,452.09	75,08,576.85	Sal Seed	75,08,576.85	
33,26,10,919.08	Forest Development Cess	40,54,21,858.89					
59,754.00	Commercial Tax	59,754.00			F.D.R./C.D.R./S.D.R.		6,95,21,60,411.50
3,18,840.78	Entry [illegible] on Sale	3,18,840.78		34,95,00,000.00	FDR A/c (Andra Bank)	0.00	
1,45,94,193.50	Income Tax (TCS)	0.00		71,46,06,384.00	FDR A/c (Apex Bank) [Fed. Capital]	79,45,11,498.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
39,30,27,624.42	*Goods and Service Tax*	4,85,71,998.42	
	SUNDRY CREDITORS		1,21,11,77,139.39
9,068.00	*F.R.L.H.T.*	9,068.00	
2,03,84,571.90	*Tendu Patta Purchasers*	3,40,01,607.40	
2,93,200.16	*Sal Seed Purchasers*	2,93,200.16	
14,17,609.05	*Harra Purchasers*	14,17,609.05	
3,70,524.72	*Gum Purchasers*	3,70,524.72	
89,67,590.20	*Security Deposit other than M.F.P.*	2,73,82,631.20	
59,090.00	*TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.*	59,090.00	
2,40,562.00	*Tirumalla Tirupati Dev Sthanam., Tirupati*	2,40,562.00	
0.00	*Charanpaduka Purchase A/c*	2,601.82	
0.00	*M.S.P Account*	7,83,07,616.00	
1,40,45,84,974.68	*District Union Advance*	1,05,57,27,802.50	
0.00	*P.N.B. M Br. 191933 (S)*	1,33,64,826.54	
	PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)		12,35,02,55,400.47
10,77,06,06,326.21	*Incentive Wages to Pluckers C.G.*	5,97,58,14,797.21	
1,87,89,99,556.52	*Revolving Fund*	2,04,86,85,081.84	
3,83,42,45,923.42	*Sale purchase processing of Non-nationalised MFP*	4,32,57,55,521.42	
	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL		73,45,05,969.87
5,99,86,647.28	*M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1* (Annexure -A)	5,99,86,647.28	
41,02,60,025.99	*BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2*	41,02,60,025.99	
26,42,59,296.60	*M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/C -3*	26,42,59,296.60	
1,13,59,776.94	**SUSPENSE A/C**	1,13,59,776.94	1,13,59,776.94
2,49,03,52,180.82	**MSP Project related Liabilities (Annexure B)**	2,64,42,57,584.85	2,64,42,57,584.85
18.00	**FEDERATION PROFIT & LOSS A/C**		19.00
	A. Profit of Fed. (in Previouse year)	18.00	
	B. Profit of Current Year	4,42,73,762.00	
	Total	4,42,73,780.00	
	Less: Transfered to General Reserve Fund	4,42,73,761.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
0.00	*Security Deposit (Court)*	84,35,615.50	
1,30,00,00,000.00	*FDR A/c (HDFC Bank)*	70,00,00,000.00	
1,70,00,00,000.00	*FDR A/c (Indus Ind Bank)*	0.00	
1,50,00,00,000.00	*FDR A/c (OBC)*	0.00	
7,64,60,72,550.00	*FDR A/c (Apex Bank)*	5,35,02,13,298.00	
9,90,00,000.00	*FDR A/c (Central Bank)*	9,90,00,000.00	
14,85,00,000.00	*FDR A/c (P.N.B.)*	0.00	
	BANK ACCOUNTS		6,19,16,43,17[illegible]
	CURRENT		
9,45,13,059.93	*ICICI BANK A/c No. 016105006260*	63,51,061.93	
3,73,608.17	*P.N.B. A/c No. 0399005900000058 (C)*	8,54,17,873.02	
7,30,602.81	*State Bank of India 30735345823 (C)*	7,29,953.81	
500.00	*Apex Bank 1149 (C)*	500.00	
16,31,690.00	*Bank of Baroda A/c No.05100200000482 (C)*	16,71,791.00	
13,55,364.75	*S.B. Indore 53015395443 (C)*	13,55,364.75	
9,674.61	*Dena Bank 018811001093 (C)*	9,202.61	
	SAVING		
0.00	*Axis Bank A/c No. 44794 (S)*	5,19,068.00	
48,48,011.00	*Axis Bank A/c No.913010014688171 (S)*	1,16,80,460.00	
18,34,61,106.82	*AXIS Bank (S) 910010017380589 (S)*	18,34,61,106.82	
57,04,064.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002093 (S)*	14,81,15,596.00	
75,43,565.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002094 (S)*	79,65,601.00	
10,99,30,777.74	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002401 (S)*	2,99,41,867.21	
0.00	*ICICI Bank A/c No. 016101015839 (S)*	1,40,984.00	
2,94,05,94,000.00	*Indus Ind Bank A/c No. 100061521459 (7)*	4,74,46,28,613.12	
13,21,81,417.02	*Indus Ind Bank A/c No. 100061712413 (6)*	86,08,14,545.23	
19,10,988.64	*P.N.B. A/c No. 0101183276 (Campa) (S)*	20,13,826.84	
6,34,42,455.77	*P.N.B. A/c No. 3358 (S)*	6,69,84,003.97	
6,48,21,740.59	*P.N.B. M.Br.A/c No.399000101192414 (S)*	1,88,29,902.15	
1,21,30,518.70	*State Bank of India A/c No.31144628102 (S)*	69,29,116.60	
10,77,350.75	*State Bank of India A/c No.32084656047 (S)*	1,40,82,737.25	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	(9)			17,25,570.86	*P.N.B. M Br. 191933 (S)*	0.00	
				2,49,03,52,180.82	**MSP Project related Assets (Annexure B)**	2,64,42,57,584.85	2,64,42,57,584.85
					CASH/DD/CHEQUE-IN-HAND		1,46,58,743.00
				43,34,563.00	*DD/Cheque In Hand*	1,46,58,743.00	
				0.00	*Cash*	0.00	
24,20,76,76,552.17	**GRAND TOTAL**		19,72,70,38,641.71	24,20,76,76,552.17	**GRAND TOTAL**		19,72,70,38,641.71

Note :- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.

2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed seperately in Balance sheet as liability in **Annexure "A"**

3- Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998,1999,2000 is not incorporated in corresponding ledgers.

4- Seperate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transfered to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transfered to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transfered to Revolving Fund of MSP . Details of Assets and Liabilities are shown seperately in **Annexure "B"**

Place: Raipur
Date: 26-09-2019

(ARCHANA DHANGAR)	(D.K. SHRIVASTAVA)	(ARUN KUMAR PANDEY)	(RAKESH CHATURVEDI)	(CA PRAMOD KUMAR)
SUPERINTENDENT	ASST. ACCOUNT OFFICER	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

RAMA K GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS PRAMOD KUMAR PARTNER M. No. 411545 RAIPUR (C.G.)

Saurabh

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2019

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	*Grant in Aid*	22,63,000.00	85,29,42,793.11	*Advance to Distt. Union(Bhopal)*	85,29,42,793.11
14,00,000.00	*M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns*	14,00,000.00			
22,27,000.00	*NTFP Plantation (Medicinal Plants)*	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	*Godown Assistance*	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	*Subsidy for Godowns From TRIFED*	30,57,321.00			
6,00,000.00	*Subsidy for Small Godowns*	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	*Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)*	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	*Provision for Harra Trade Expenses (New)*	23,52,776.68			
39,63,288.56	*Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)*	39,63,288.56			
1,461.84	*Provision for Other Gum Trade Expenses (New)*	1,461.84			
2,024.00	*Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)*	2,024.00			
26,09,01,689.23	*Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)*	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	*Provision for Mahua Trade Expenses*	3,50,956.43			
36,84,541.50	*Provision for Harra Trade Expenses (Old)*	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	*Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)*	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	*Incentive Wages to Pluckers (Bhopal)*	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	*PROFIT TO SOCITIES (REORGANISATION) (70:15:15)*	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	*ADVANCE FROM DISTT. UNION (BHOPAL)*	33,03,50,213.89			
64,000.00	*CASH IN TRANSIT*	64,000.00			
91,29,29,440.39	**GRAND TOTAL**	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	**GRAND TOTAL**	85,29,42,793.11

5,99,86,647.28	**Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1**	5,99,86,647.28

(ARCHANA DHANGAR)
SUPERINTENDENT

(D.K. SHRIVASTAVA)
ASST. ACCOUNT OFFICER

(ARUN KUMAR PANDEY)
EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(RAKESH CHATURVEDI)
MANAGING DIRECTOR

(CA PRAMOD KUMAR)
AUDITOR

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	12,42,68,693.80	By Sales	14,28,38,197.49
To Purchase	18,00,859.00	By Interest & Other Income	69,03,324.01
To Direct Over Head Expenses	14,83,805.63	By Godown Rent Recived	22,74,187.75
To Service Charge Sal Seed	38,173.18	By Misc Income through DU	5,68,885.00
To Payable to MFP Gatherers under MSP	3,15,18,595.13	By Closing Stock	65,25,532.49
TOTAL	15,91,10,126.74	TOTAL	15,91,10,126.74

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	45,34,049.83	By Sales	2,18,447.75
To Purchase	12,79,648.00	By Direct Incomes	10,081.00
To Direct Expenses	2,09,220.00	By Closing Stock	58,31,112.60
To Service Charge Harra	27,879.60		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	8,843.92		
TOTAL	60,59,641.35	TOTAL	60,59,641.35

IMLI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,76,90,841.80	By Sales	3,03,289.00
To Purchase		By Closing Stock	1,72,53,783.78
To Direct Expenses		By Loss transfered to Fund to meet loss	1,33,769.02
TOTAL	1,76,90,841.80	TOTAL	1,76,90,841.80

MAHUA SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	22,76,438.67	By Sales	15,43,762.75
To Purchase	10,450.00	By Interest & Other Income	29,337.00
To Direct Expenses	647.00	By Closing Stock	4,47,136.49
To Service Charge Mahua Seed	209.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	2,67,508.43
TOTAL	22,87,744.67	TOTAL	22,87,744.67

(12)

CHIRONJI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	2,81,45,790.08	By Sales	88,29,762.00
To Purchase	1,54,63,456.00	By Direct Incomes	1,77,142.00
To Direct Expenses	10,37,451.00	By Closing Stock	1,40,83,263.63
To Service Charge Chironji	3,04,435.32	By Loss Transfered to Fund to meet loss	2,18,60,964.77
TOTAL	4,49,51,132.40	TOTAL	4,49,51,132.40

KUSUMI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	49,96,821.31	By Sales	88,96,759.18
To Purchase	1,48,22,935.00	By Closing Stock	93,17,150.22
To Direct Expenses	6,54,265.00	By Loss Transfered to Fund to meet loss	25,59,054.41
To Service Charge Kusmi Lac	2,98,942.50		
TOTAL	2,07,72,963.81	TOTAL	2,07,72,963.81

RANGINI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	17,58,447.44	By Sales	9,97,433.00
To Purchase	47,49,503.00	By Closing Stock	59,65,786.38
To Direct Expenses	1,94,641.00		
To Service Charge Rangini Lac	86,669.46		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,73,958.48		
TOTAL	69,63,219.38	TOTAL	69,63,219.38

M.S.P. PROJECT INDIRECT INCOME / EXPENSES STATEMENT

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Bank Charges Distt Union	74,569.71	By Interest Earned on FFD	80,29,818.00
To Bank Charges H.O.	236.00	By Interest Earned on FDR	13,83,01,366.85
To Advertisement Expenses	4,500.00		
To Revolving Fund of MSP	14,62,51,879.14		
TOTAL	14,63,31,184.85	TOTAL	14,63,31,184.85

Note : Expenses other then collection i.e indirect expenses are seperately shown in indirect income/expenses statement.

(ARCHANA DHANGAR)	(D.K. SHRIVASTAVA)	(ARUN KUMAR PANDEY)	(RAKESH CHATURVEDI)	(CA PRAMOD KUMAR)
SUPERINTENDENT	ASST. ACCOUNT OFFICER	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2019

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES		AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNT
2,39,68,95,988.04	*Revolving Fund of MSP*		2,55,50,68,867.18	37,78,44,951.19	*Fund to Meet Losses*		40,26,66,247.82
	Opening Balance	2,39,68,95,988.04			*Opening Balance*	37,78,44,951.19	
	+Fund received	1,19,21,000.00			*+ Current Year Trading losses*	2,48,21,296.63	
	+ Net of Indirect Income/Expenses	14,62,51,879.14					
				18,36,71,082.93	*Closing Stock*		5,94,23,765.59
4,99,38,384.22	*Payable to MFP Gatherers Under MSP*		8,16,39,781.75		*Sal Seed*	65,25,532.49	
	Opening Balance	4,99,38,384.22			*Harra*	58,31,112.60	
	+ Current Year	3,17,01,397.53			*Mahua*	4,47,136.49	
					Imli	1,72,53,783.78	
24,40,216.23	*Duties & Taxes*		67,90,891.17		*Kusumi Lac*	93,17,150.22	
	Forest Development Tax	67,61,968.67			*Ranigini Lac*	59,65,786.38	
	Goods and Service Tax	28,922.50			*Chironji*	1,40,83,263.63	
75,53,564.20	*Service Charges Payable*		7,56,309.06	15,47,540.23	*Duties & Taxes*		17,07,314.23
					TCS	8,13,365.42	
3,35,24,028.13	*Sundry Creditors*		1,735.69		*Value Added Tax*	8,00,538.29	
	MFP Purchasers	1,732.00			*Entry Tax*	93,410.52	
	NCDEX	3.69					

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNT
			16,20,49,581.08	*Loans and Advances*		28,04,48,890.62
				Tax Deducted at Source (Bank)	5,04,47,735.22	
				Interest Receivable	13,92,55,427.43	
				Receivable from Tendu Patta A/c	7,83,07,616.00	
				District Union Advance	1,24,38,111.97	
			1,70,00,00,000.00	*Deposits*		1,87,34,74,915.00
				FDR A/c (Apex BANK)	1,37,34,74,915.00	
				FDR A/c (YES Bank)	50,00,00,000.00	
			6,52,39,025.39	*Bank Account*		2,65,36,451.59
				PNB A/c No. 000067	2,65,36,451.59	
2,49,03,52,180.82	GRAND TOTAL	2,64,42,57,584.85	2,49,03,52,180.82	GRAND TOTAL		2,64,42,57,584.85

(ARCHANA DHANGAR)
SUPERINTENDENT

(D.K. SHRIVASTAVA)
ASST. ACCOUNT OFFICER

(ARUN KUMAR PANDEY)
EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(RAKESH CHATURVEDI)
MANAGING DIRECTOR

(CA PRAMOD KUMAR)
AUDITOR